धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात- अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025

स्थापना आदेश,परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल - 39 [स्थापना आदेश-सं. 36, स्थापना परिपत्र -2,कार्यालय आदेश -1]

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं-242/2025	21.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
2	आदेश सं-243/2025	07.10.2025	अनुवाद किया गया	RCR
3	आदेश सं-244/2025	07.10.2025	अनुवाद किया गया	KK
4	आदेश सं-245/2025	14.10.2025	अनुवाद किया गया	MK
5	आदेश सं-246/2025	21.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
6	आदेश सं-247/2025	21.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
7	आदेश सं-248/2025	21.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
8	आदेश सं-248/2025	24.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
	आदेश सं-249/2025	--	249 नहीं है ,(248 -2 हैं)	
9	आदेश सं-250/2025	27.10.2025	अनुवाद किया गया	KK
10	आदेश सं-251/2025	24.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
11	आदेश सं-252/2025	24.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
12	आदेश सं-253/2025	24.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
13	आदेश सं-254/2025	24.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
14	आदेश सं-255/2025	24.10.2025	अनुवाद किया गया	FZ
15	आदेश सं-256/2025	28.10.2025	अनुवाद किया गया	AVB
16	आदेश सं-257/2025	28.10.2025	अनुवाद किया गया	AVB
17	आदेश सं-258/2025	30.10.2025	अनुवाद किया गया	MK
18	आदेश सं-259/2025	30.10.2025	अनुवाद किया गया	AVB
19	आदेश सं-260/2025	04.11.2025	अनुवाद किया गया	JJ
20	आदेश सं-261/2025	07.11.2025	अनुवाद किया गया	JJ
21	आदेश सं-262/2025	14.11.2025	अनुवाद किया गया	JJ
22	आदेश सं-263/2025	14.11.2025	अनुवाद किया गया	MK
23	आदेश सं-264/2025	25.11.2025	अनुवाद किया गया	FZ
24	आदेश सं-265/2025	24.11.2025	अनुवाद किया गया	FZ
25	आदेश सं-266/2025	25.11.2025	अनुवाद किया गया	FZ
26	आदेश सं-267/2025	03.12.2025	अनुवाद किया गया	MK
27	आदेश सं-268/2025	01.12.2025	अनुवाद किया गया	MK
28	आदेश सं-269/2025	08.12.2025	अनुवाद किया गया	AVB
29	आदेश सं-270/2025	09.12.2025	अनुवाद किया गया	AVB
30	आदेश सं-271/2025	09.12.2025	अनुवाद किया गया	AVB
31	आदेश सं-272/2025	23.12.2025	अनुवाद किया गया	FZ
32	आदेश सं-273/2025	23.12.2025	अनुवाद किया गया	FZ
33	आदेश सं-274/2025	22.12.2025	अनुवाद किया गया	MK
34	आदेश सं-275/2025	24.12.2025	अनुवाद किया गया	FZ
35	आदेश सं-276/2025	31.12.2025	अनुवाद किया गया	FZ
36	आदेश सं-277/2025	05.01.2026	अनुवाद किया गया	FZ

कुल - 3 [स्थापना परिपत्र -2,कार्यालय आदेश -1]

क्रम सं	स्थापना परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	स्थापना परिपत्र	07.11.2025	अनुवाद किया गया	FZ MK
2	स्थापना परिपत्र	12.12.2025	अनुवाद किया गया	MK
3	कार्यालय आदेश -1	31.10.2025	अनुवाद किया गया	KK

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT दिनांक : 21.10.2025

आदेश सं.: 242 / 2025

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडरों में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडरों में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	मुरलीधरन के अधीक्षक	01.05.1967	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोऴिक्कोड
2.	राजित टी जी अधीक्षक	01.06.1967	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोऴिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
3.	दिनेश कुमार अधीक्षक	20.11.1989	प्रतिनियुक्ति के बाद कार्यग्रहण करने और प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ उठाने पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
4.	ओमंशु त्रिपाठी निरीक्षक	22.12.2001	सीजीएलई 2024 - नई भर्ती	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | नई भर्ती को छोड़कर अधिकारियों को दिनांक **24.10 .2025** तक उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त किया जाना है | नई भर्ती को अपनी राहत

पर तुरंत कार्यग्रहण करना है | यदि अधिकारी उक्त तिथि तक कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है |

4. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक **29.10.2025** तक अनुपालन रिपोर्ट करना है ।

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोऴिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
2. तिरुवनंतपुरम/ कोऴिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक) के उप / सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोऴिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि
5. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोऴिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/41/2020-Estt दिनांक : 07.10.2025

आदेश सं.: 243 / 2025

विषय:केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच निम्नलिखित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारियों का आदेश इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	माया कुरियन	स्थापना, का.व सत., प्रशासन एवं लेखा, सीआरयू, सिस्टम्स, सीपीग्राम	शरतचंद्रन एम	शुभा चंद्रन
2	शरतचंद्रन एम	अपवंचनरोधी, सत्यापन कक्ष, तकनीकी एवं सांख्यिकी, ससंद प्रश्न, डीजीएआरएम	माया कुरियन	शुभा चंद्रन
3	आर षैजु	न्यायनिर्णयन	राजा टोमी	शरतचंद्रन एम
4	रंजित शांतकुमार	समीक्षा-I, मुख्यालय, आधारिक संरचना, कल्याण, खेल, स्वच्छ भारत सुगम्य भारत,	शुभा चंद्रन	राजा टोमी
5	शुभा चंद्रन	लेखा परीक्षा एवं कर बकाया वसूली, समीक्षा-II(एर्णाकुलम मंडल से सम्ब्वंधित)	आर लता	रंजित शांतकुमार

6	राजा टोमी	सूचना अधिकार अधिनियम (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी), प्रशिक्षण, सवोत्तम, जीएसटी सेवा केंद्र	आर षैजु	आर लता
7	आर लता	विधिक & मुकदमा,	रंजित शांतकुमार	आर षैजु
8	राजेश जेकब के	आलुवा मंडल	बीना वास एस	सी संतोष कुमार मेनोन
9	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने	एर्णाकुलम मंडल	सी संतोष कुमार मेनोन	मेरीकुट्टी चाको
10	सी संतोष कुमार मेनोन	काक्कनाड़ मंडल	मेरीकुट्टी चाको	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने
11	बीना वास एस	चालक्कुडी मंडल	शशिधरन	जॉय जोसफ
12	शशिधरन	तृश्शूर मंडल	राजेश जेकब के	बीना वास एस
13	मेरीकुट्टी चाको	पेरुम्बावूर मंडल	जॉय जोसफ	शशिधरन
14	जॉय जोसफ	इडुक्की मंडल	मेरीकुट्टी चाको	सी संतोष कुमार मेनोन

2. सौंपे गए कार्यभार के अतिरिक्त, अधिकारी नियंत्रण अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी करेगा।

3. सहायक आयुक्त श्री राजा टॉमी, सहायक निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय कोच्चि के लिए लिंक अधिकारी होंगे

4. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है|

||अनुप्रमाणित||

साबु पीटर ए. / SABU PETER A.
अधीक्षक / SUPERINTENDENT
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI-682018

ह/-
[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर/ संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप सहायक आयुक्त/,केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक) सिस्टम्स(केकर एवं . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु .कोच्चि – वेबसाइट में अपलोड करने हेतु|
5. सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2022-Estt दिनांक : 07.10.2025

आदेश सं.: 244/ 2025

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र मुख्य आयुक्त के कार्यालय आदेश संख्या 36/2025 (डीजीएचआरडी/एडीसी-जेसी/163/2025), दिनांक 12.09.2025 के जारी होने के परिणामस्वरूप, कोच्चि सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के अपर/संयुक्त आयुक्तों के बीच निम्नलिखित कार्य आवंटन का आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	लिंक अधिकारी
1	फारा ज़खरिया, संयुक्त आयुक्त	स्थापना, कार्मिक एवं सतर्कता, प्रशासन एवं लेखा, भविष्या, सीआरयू, सिस्टम्स, सीपीग्राम, अपवंचनरोधी, सत्यापन कक्ष, तकनीकी एवं सांख्यिकी, संसद प्रश्न, डीजीएआरएम, मुख्यालय, आधारिक संरचना,कल्याण,खेल, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, सूचना अधिकार अधिनियम,राजभाषा,काक्कनाड, चालक्कुडी एवं त्रिश्शूर केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लेगेसी कार्य; आयुक्त(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य |	डॉ ए वेकडेश बाबु, संयुक्त आयुक्त
2		जीएसटी कक्ष, , एवं आसूचना एवं कक्ष, ,सूचना अधिकार अधिनियम,	रानी सी आर, अपर आयुक्त
3	डॉ ए वेकडेश बाबु, संयुक्त आयुक्त	न्यायनिर्णयन, समीक्षा -I व II, लेखा परीक्षा, कर बकाया वसूली, विधिक व	फारा ज़खरिया, संयुक्त आयुक्त

		मुकदमा, सूचना का अधिकार अधिनियम (अपील), प्रशिक्षण,सवोत्तम, जीएसटी सेवा केंद्र, आलुवा, पेरुम्बावूर, इडुक्की एवं एर्णाकुलम केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी ले गेसी कार्य, आयुक्त केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य	

[के कालिमुत्तु]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |
5. सहायक निदेशक,(रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/16/2025-ESTT **दिनांक : 14.10.2025**

आदेश सं.: 245 / 2025

विषय : - कर सहायक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक के श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	तुषार शेखर	10.07.2000	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि [सीसीओ-सीसीए से ऋण आधार पर]

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को दि: 16.10.2025 तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि: 17.10.2025 तक अपनी नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है । यदि अधिकारी निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 15.10.2025 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[माया कुरियन]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स /सत.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/24/2022-Estt **दिनांक :21.10.2025**

आदेश सं.: 246 / 2025

विषय : केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को गैर -कार्यात्मक उन्नयन का अनुदान - संबंधित |

माननीय कैट, एर्णाकुलम बेंच के ओए संख्या 180/862/2018 दिनांक 26.02.2019 के आदेश और सीबीआईसी के पत्र एफ.सं.ए-23011/11/2019-एड.आईआईए दिनांक 23.05.2019 के अनुसरण में और माननीय कैट, एर्णाकुलम बेंच के एमए संख्या 180/00538/2022 (ओए संख्या 180/862/2018 में) दिनांक 08.09.2023 के आदेश और सीबीआईसी के पत्र एफ.सं.ए23011/44/2020-एड.आईआईए-भाग (2) दिनांक 29.02.2024 और अपर आयुक्त (का. व सत.), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र द्वारा फाइल संख्या GEXCOM/II/(39)/42/2020-Estt में जारी परिपत्र दिनांक 11.04.2024 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधीक्षकों को 4800/- रुपये के जीपी में एमएसीपी प्रदान करने की तिथि से 4 वर्ष पूरे होने पर 5400/- रुपये के जीपी (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 9) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	अधीक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने की तिथि	पहला एमएसीपी प्रदान करने की तिथि	प्रथम /द्वितीय /त्रितीय एमएसीपी	एनऍफ़यू प्रदान करने की तिथि
1.	पी एल जॉय	04.11.2014	18.12.2012	**द्वितीय**	18.12.2016
2.	पी डी संतोष बाबु	04.11.2014	19.12.2012	**द्वितीय**	19.12.2016
3.	प्रिया के के	22.06.2023	12.04.2021	**त्रितीय**	12.04.2025
4.	राजेश कुमार	27.01.2023	28.10.2021	**प्रथम**	28.10.2025
5.	भास्करनाथ	02.01.2023	14.11.2021	**प्रथम**	14.11.2025

2. इसके अलावा, निम्नलिखित अधीक्षकों को अधीक्षक के तौर पर कार्यग्रहण करने की तारीख से 4 साल पूरे होने पर 5400/- रुपये के GP (पे मैट्रिक्स का लेवल 9) में गैर - कार्यात्मक उन्नयन दिया गया है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	पदोन्नति पर अधीक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने की तिथि	एनऍफ़यू प्रदान करने की तिथि
1	परदीप तंवर	08.03.2021	08.03.2025
2	जयंता बिश्वास	22.10.2021	22.10.2025
3	जेकब जोसफ	22.10.2021	22.10.2025
4	पोतुराजु शिवप्रसाद	22.10.2021	22.10.2025

2. अधिकारियों को इस आदेश के जारी होने के एक महीने के अंदर, समय-समय पर संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.09.1981 और दिनांक 28.11.2019 के अनुसार, निर्धारित फॉर्मेट में वेतन नियतन के लिए विकल्प चुनना होगा।

3. उन अधिकारियों के संबंध में उनके वेतन निर्धारण के समय आज की तारीख के अनुसार सतर्कता मंजूरी प्राप्त की जा सकती है, जिन्हें भविष्य की तारीखों पर एनएफयू प्रदान किया गया है।

4. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

(फारा ज़खरिया)

संयुक्त आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्तियां (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,आलुवा /चालक्कुडी मंडल

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt Pt(1) **दिनांक : 21.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 247 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/96153)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2024 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 की स्वीकृति पर, **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्लियूएस) श्रेणी** के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार **श्री भोलु रघुवंशी** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक **17.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री भोलु रघुवंशी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

फारा

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री भोलु रघुवंशी,

सुपुत्र केशरी सिंह रघुवंशी,
ग्राम बीसर, डाकघर बिसोर,
तहसील नाइसराई, अशोक नगर,
मध्य प्रदेश - 473330

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt Pt(1) **दिनांक : 21.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 248 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/96152)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2024 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 की स्वीकृति पर, **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्लियूएस) श्रेणी** के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार **श्री अनुराग मिश्रा** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक **17.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री अनुराग मिश्रा** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

फा/21

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अनुराग मिश्रा,

सुपुत्र महेंद्र प्रसाद मिश्रा,
1-11 पर्यावरण परिसर, ई -5 अरेरा कॉलोनी,भोपाल,
मध्य प्रदेश - 462016

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt Pt(1) **दिनांक : 24.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 248 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/96129)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2024 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी** के अंतर्गत हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार **श्री दिनेश कुमार मीना** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक **24.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री दिनेश कुमार मीना** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

4/12/

[डॉ. फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री दिनेश कुमार मीना,

सुपुत्र मूलचंद मीना,
धनी बंधा की,वीपीओ नटाटा,
तहसील जमवारमगढ़, जयपुर
राजस्थान - 302028

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/30/2025-Estt **दिनांक : 27.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 250 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /आशुलिपिक-I/103434)

विषय :- एसएससी -आशुलिपिक परीक्षा, 2024 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड -I में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.10.2025 की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड -I के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र A-12025/3/2024 -Ad-IIIB Section-CBEC दिनांक 09.09.2025 के ज़रिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री कुनाल** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35,400- रु.1,12,400) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड -I के रूप में दिनांक **24.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री कुनाल** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के

लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

[के कालिमुत्तु]
आयुक्त

सेवा में,

श्री कुनाल,
सुपुत्र अज्बीर सिंह,
803, टावर -9,
सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली - 110023

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.),केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt **दिनांक : 24.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 251 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि/आशुलिपिक-II /103436)

विषय :- एसएससी -आशुलिपिक परीक्षा, 2024 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड -II में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.10.2025 की स्वीकृति पर, **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्लियूएस) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र A-12025/3/2024 -Ad-IIIB Section-CBEC दिनांक 09.09.2025 के ज़रिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री अभय पाण्डेय** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25,500-रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में दिनांक **24.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री अभय पाण्डेय** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के

लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

फा/21

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अभय पाण्डेय,
सुपुत्र कमलेश कुमार पाण्डेय,
गाँव -बजाहन, डाकघर -छिबया,
झूंसी ,इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश - 211019

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.),केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt **दिनांक : 24.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 252 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि/आशुलिपिक-II /103439)

विषय :- एसएससी -आशुलिपिक परीक्षा, 2024 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड -II में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.10.2025 की स्वीकृति पर, **अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र A-12025/3/2024 -Ad-IIIB Section-CBEC दिनांक 09.09.2025 के ज़रिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री गौरव** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में दिनांक **24.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री गौरव** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के

लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

फारा

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री गौरव,
सुपुत्र सुरेश कुमार ,
643, हरिजन मोहल्ला,
बक्तावर पुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली,
नई दिल्ली - 110036

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.),केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt **दिनांक : 24.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 253 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि/आशुलिपिक-II /103435)

विषय :- एसएससी -आशुलिपिक परीक्षा, 2024 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड -II में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.10.2025 की स्वीकृति पर, **अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र A-12025/3/2024 -Ad-IIIB Section-CBEC दिनांक 09.09.2025 के ज़रिए आवंटित एक उम्मीदवार **सुश्री गीतांजली बी वी** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में दिनांक **24.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **सुश्री गीतांजली बी वी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के

लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

फारा

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

सुश्री गीतांजली बी वी,
सुपुत्री विश्वकुमार,
विश्वनिकेतन, वेल्लारडा, वेल्लारडा डाकघर,
बक्तावर पुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695505

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.),केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt **दिनांक : 24.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 254 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि/आशुलिपिक-II/103442)

विषय :- एसएससी -आशुलिपिक परीक्षा, 2024 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड -II में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.10.2025 की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र A-12025/3/2024 -Ad-IIIB Section-CBEC दिनांक 09.09.2025 के ज़रिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री नवीन ध्रुव दिवाकर** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में दिनांक **24.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री नवीन ध्रुव दिवाकर** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के

लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री नवीन ध्रुव दिवाकर,
सुपुत्र अमित कुमार दिवाकर,
वैशाली कॉलोनी, काशीपुर,
उधम सिंह नगर,
उत्तराखंड - 244713

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.),केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt **दिनांक : 24.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 255 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि/आशुलिपिक-II/103438)

विषय :- एसएससी -आशुलिपिक परीक्षा, 2024 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड -II में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.10.2025 की स्वीकृति पर, **अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र A-12025/3/2024 -Ad-IIIB Section-CBEC दिनांक 09.09.2025 के ज़रिए आवंटित एक उम्मीदवार **सुश्री निधि कुमारी** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में दिनांक **24.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **सुश्री निधि कुमारी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के

लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

सुश्री निधि कुमारी,
सुपुत्री संजीव कुमार,
गाँव -नई इत्वारपुर, डाकघर -कुर्थौल,
पुलिस थाना -पर्सा बाज़ार,
पटना, बिहार -804453

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.),केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT दिनांक : 28.10.2025

आदेश सं.: 256 / 2025

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री	जन्म तिथि	...से	... को
1.	यदु कृष्णा पी एम	17.02.1999	सतर्कता अनुभाग,मु.,कोच्चि	काक्कनाड मंडल
2.	ओमंशु त्रिपाठी	22.12.2001	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	सतर्कता अनुभाग,मु.,कोच्चि

2. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | नई भर्ती को छोड़कर अधिकारी को दिनांक **31.10.2025** तक उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त किया जाना है | यदि अधिकारी उक्त तिथि तक कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो पर्यवेक्षी अधिकारियां जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है |

4. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक **03.11.2025** तक अनुपालन रिपोर्ट करना है ।

[डॉ ए वेंकडेश बाबु]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि -हिंदी रूपांतर हेतु
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt **दिनांक : 28.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 257 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि/आशुलिपिक-II/103440)

विषय :- एसएससी -आशुलिपिक परीक्षा, 2024 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड -II में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.10.2025 की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र A-12025/3/2024 -Ad-IIIB Section-CBEC दिनांक 09.09.2025 के ज़रिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री कुनाल** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में दिनांक **27.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री कुनाल** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के

लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

[डॉ ए वेंकडेश बाबु]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री कुनाल,
सुपुत्र योग राज,
सी-I/903, मदनगीर,
डॉ अम्बेडकर नगर,
दक्षिण दिल्ली, दिल्ली - 110062

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.),केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-ESTT दिनांक : 30.10.2025

आदेश सं.: 258 / 2025

विषय : - हवलदार की श्रेणी में तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

हवलदार के श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	अनुराग मिश्रा	16.03.1999	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड आयुक्तालय
2.	भोलु रघुवंशी	05.05.2002	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड आयुक्तालय
3.	दिनेश कुमार मीना	05.10.2002	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

2. उपर्युक्त अधिकारियों को तुरंत नई तैनाती के स्थान पर कार्यग्रहण करना चाहिए|

3. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड के सभी उप/सहायक आयुक्त
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोळिक्कोड
4. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt **दिनांक : 30.10.2025**

स्थापना आदेश सं.: 259 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि/आशुलिपिक-II/103437)

विषय :- एसएससी -आशुलिपिक परीक्षा, 2024 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड -II में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.10.2025 की स्वीकृति पर, **अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र A-12025/3/2024 -Ad-IIIB Section-CBEC दिनांक 09.09.2025 के ज़रिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री रोहित बाथम** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में दिनांक **30.10.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री रोहित बाथम** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt **दिनांक : 04.11.2025**

आदेश सं.: 260 / 2025

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-05-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारीयों को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नामों के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	प्रथम/द्वितीय/ त्रितीय वित्तीय उन्नयन)	वह तिथि जिससे वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी जाती है	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड /पे मैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुतु सहायक निदेशक (रा.भा.)	07.10.1974	प्रथम	04.11.2011*	पीबी2 जीपी4600 स्तर-7
			द्वितीय	04.11.2021	स्तर -8
2.	राकेश सांगवान,अधीक्षक	02.09.1985	प्रथम	17.09.2022	स्तर -8
3.	दिनेश कुमार,अधीक्षक	20.11.1989	प्रथम	03.12.2023	स्तर -8
4.	रामेन्द्र सिंह,निरीक्षक	30.03.1991	प्रथम	15.10.2025	स्तर -8
5.	आनंद वी के,निरीक्षक	07.04.1987	प्रथम	30.03.2026	स्तर -8
6.	संदीप बिस्ला,निरीक्षक	01.04.1989	प्रथम	01.10.2025	स्तर -8
7.	मनोहर माधव,निरीक्षक	01.07.1991	प्रथम	17.03.2026	स्तर -8
8.	युगल कुमार सिंह,निरीक्षक	19.08.1990	प्रथम	29.03.2026	स्तर -8
9	प्रियंका पुष्पाद,निरीक्षक	01.07.1992	प्रथम	17.03.2026	स्तर -8
10	समिन कुमार,निरीक्षक	04.02.1992	प्रथम	01.10.2025	स्तर -8
11	शिल्पा गोयल,निरीक्षक	07.03.1989	प्रथम	01.10.2025	स्तर -8
12	राजन राय,निरीक्षक	18.09.1986	प्रथम	26.11.2025	स्तर -8
13	निशांत ठाकुर,निरीक्षक	06.08.1987	प्रथम	16.01.2026	स्तर -8
14	जॉन मैथ्यू,निरीक्षक	21.12.1988	प्रथम	21.03.2026	स्तर -8

15	प्रजित के पी,निरीक्षक	19.07.1987	प्रथम	01.10.2025	स्तर -8
16	प्रणव जे,निरीक्षक	05.11.1988	प्रथम	15.10.2025	स्तर -8
17	संदीप कुमार,निरीक्षक	15.08.1983	प्रथम	16.12.2023	स्तर -8
18	हबीब के,निरीक्षक	14.05.1991	प्रथम	17.03.2026	स्तर -8
19	मोबिन बाबु,निरीक्षक	05.10.1988	प्रथम	01.102025	स्तर -8
20	जेकब जॉर्ज,निरीक्षक	29.01.1990	प्रथम	01.10.2025	स्तर -8
21	षहीम के पी,निरीक्षक	22.01.1988	त्रितीय	08.04.2025	स्तर -8
22	जेकब वर्गीस,निरीक्षक	20.11.1980	त्रितीय	01.04.2025	स्तर -8
23	अनिता जोसफ,निरीक्षक	16.01.1974	त्रितीय	01.04.2025	स्तर -8
24	चन्दन कुमार,निरीक्षक	30.06.1986	त्रितीय	01.04.2025	स्तर -8
25	जयकुमार वी एस,हेड हवलदार	26.08.1988	त्रितीय	27.12.2025	स्तर -4
26	नैनान के ए,हेड हवलदार	20.04.1970	त्रितीय	06.11.2025	स्तर -4
27	एलिज़ाबेथ षीबा एम पी हेड हवलदार	09.01.1969	त्रितीय	26.12.2025	स्तर -4
28	आर अनिल कुमार,हेड हवलदार	17.05.1975	त्रितीय	01.11.2025	स्तर -4
29	के बालु,हेड हवलदार	12.05.1970	त्रितीय	26.05.2025	स्तर -4
30	कुंजुमोन के,हेड हवलदार	08.03.1970	त्रितीय	30.01.2026	स्तर -4
31	शशि पी एम,हेड हवलदार	30.05.1968	त्रितीय	10.08.2024	स्तर -4
32	रजनी पी,हेड हवलदार	26.05.1968	द्वितीय	30.10.2023	स्तर -3

2. इन अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थी को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारी के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारी को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एमएसीपी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारी को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में **'वरिष्ठ-कनिष्ठ'** की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एमएसीपी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एमएसीपी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.ज्ञा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगाया DOP &T का.ज्ञा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा,जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एमएसीपी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने एसीपी योजना(अगस्त 1999) और एमएसीपी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प अंतिम माना जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 21.07.2010 के पत्र डी.सं.62460/यूएस (डी)/2010 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 4 (चार) वर्ष पूरे होने के बाद अधीक्षक (समूह-**'बी'**) अधिकारियों को दिए गए गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 के अनुबंध -1 के पैरा 8.1 के अनुसार वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के रूप में माना जाएगा और इसे एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बदले में उपयुक्त किया जाएगा।

4. *क्रम संख्या 1 के अधिकारी के संबंध में, अधिकारी को पहले आदेश संख्या 207/2012 दिनांक 15.11.2012 के माध्यम से 06.08.2011 से पहला एमएसीपी और 06.082021 से आदेश संख्या 46/2021 दिनांक 01.07.2021 के माध्यम से दूसरा एमएसीपी प्रदान किया गया था। उसी के लिए तारीख की समीक्षा की गयी है और अधिकारी को इस आदेश में उसके नाम के खिलाफ दर्ज की गई तारीख से स्तर 7 में पहला एमएसीपी और स्तर 8 में दूसरा एमएसीपी दिया गया है।

5. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जोमी जेकब)
अपर आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोळिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह,कोचिन
3. सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
4. अधीक्षक, (गोपनीय-सतर्कता),मुख्यालय कोच्चि /प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) मु.कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।
6. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT दिनांक : 07.11.2025

आदेश सं.: 261 /2025

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति- संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, समूह 'ख' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में नियमित आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	शुभा एस कुमार	27.02.1971	नियमित आधार पर
2	जयश्री षाजी	26.02.1971	नियमित आधार पर
3	सुधा आर एस	20.05.1972	नियमित आधार पर
4	राजन पी	20.05.1967	नियमित आधार पर
5	ज्योति सुकुमारन	31.03.1969	नियमित आधार पर
6	जैमोल के एम	19.05.1966	नियमित आधार पर
7	जयकुमार एस	19.05.1977	नियमित आधार पर
8	जेकब जॉर्ज	29.01.1990	नियमित आधार पर
9	सुकुमारन एम	25.05.1974	नियमित आधार पर
10	पोरुष रॉयल	22.01.1988	नियमित आधार पर
11	प्रजित के पी	19.07.1987	नियमित आधार पर
12	अजित कुमार सी एस	10.03.1971	नियमित आधार पर
13	निशांत ठाकुर	06.08.1987	कार्यवाहक क्षमता में
14	शिल्पा गोयल	07.03.1989	कार्यवाहक क्षमता में
15	समिन कुमार	04.02.1992	कार्यवाहक क्षमता में
16	अखिल राज डी	27.06.1990	कार्यवाहक क्षमता में
17	विशाख सी (एससी)	29.08.1990	नियमित आधार पर
18	जी दीपचंद (एससी)	14.04.1992	नियमित आधार पर
19	मोहित (एससी)	04.10.1987	नियमित आधार पर
20	वेमु नवीन निश्चल (एससी)	21.08.1989	नियमित आधार पर
21	बिश्वजीत दास (एससी)	06.02.1992	नियमित आधार पर
22	अशोक कुमार मीना (एसटी)	01.01.1989	नियमित आधार पर

23	पियूष चौहान (एसटी)	29.08.1992	नियमित आधार पर
24	हरी सिंह मीना (एसटी)	04.08.1997	नियमित आधार पर
25	नरेंद्र सिंह मीना (एसटी)	04.04.1993	नियमित आधार पर
26	सजित मोहन (एचएच)	20.06.1993	नियमित आधार पर
27	जीतेन माली (एससी)	10.09.1991	नियमित आधार पर
28	अश्वंत राज (एससी)	19.10.1993	नियमित आधार पर
29	संजय (एससी)	20.02.1998	नियमित आधार पर
30	दिनेश कुमार मीना (एसटी)	01.03.1995	नियमित आधार पर
31	दिनेश कुमार मीना (सं.II)(एसटी)	05.05.1996	नियमित आधार पर

2. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओप (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, सीएटी (ईबी) में ओए सं. 180/00806/2014, सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023,527/2023, 543/2023 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

3.क्रम संख्या 13 से 16 के अधिकारियों को कार्यवाहक क्षमता में अधीक्षकों के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है जब तक कि उनके कनिष्ठों को अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया जाता है, जिसके बाद नए पदोन्नत अधिकारियों को कार्यवाहक क्षमता में माना जाएगा | अनारक्षित श्रेणी के कुल चार अधिकारी जो वरिष्ठता में सबसे कनिष्ठ हैं, अगले आदेश तक हर समय कार्यवाहक आधार पर रहेंगे |

4. ऊपर उल्लिखित अधिकारी (क्रम संख्या 8 और 10 को छोड़कर) तत्काल और दि : 17.11.2025 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं |

5. चूंकि क्रम संख्या 8 पर मौजूद अधिकारी देश के बाहर विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर है, इसलिए अधिकारी मूल क्षेत्र में पुन: कार्यभार संभालने के बाद ही अधीक्षक का पदभार ग्रहण करेंगे, और वह भी 17.11.2025 के बाद नहीं। यदि नहीं, तो इसे पदोन्नति से इनकार के रूप में माना जाएगा।

6. चूंकि क्रम संख्या 10 का अधिकारी तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के बाहर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात है, इसलिए अधिकारी 17.11.2025 तक पदोन्नति स्वीकार कर सकता है। यदि स्वीकार किया जाता है, तो अधिकारी प्रतिनियुक्ति को बंद करके मूल क्षेत्र में शामिल हो जाएगा या फिर विकल्पतः दि :17.11.2025 को या उससे पहले प्रोफ़ॉर्मा प्रमोशन के लिए अनुरोध करेगा।

7.अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 19.11.2025 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

8. यह आदेश आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[जोमी जेकब]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोळिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/लेखा परीक्षा /अपील
3. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
4. अवर सचिव, सीबीआईसी , वित्त मंत्रालय
5. सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी , केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि / कोळिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी /लेखा परीक्षा /अपील
2. सहायक निदेशक(रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ) , अधीक्षक (गोप./सत.), कोच्चि / कोळिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी /लेखा परीक्षा /अपील
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-Estt दिनांक :14.11.2025

स्थापना आदेश सं.: 262 / 2025

विषय :- अधीक्षकों को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करना - संबन्धित

माननीय कैट, एर्णाकुलम बेंच के ओए संख्या 180/862/2018 दिनांक 26.02.2019 और सीबीआईसी पत्र एफ.नं.ए-23011/11/2019-एडी.IIए दिनांक 23.05.2019 के आदेश के अनुसरण में और माननीय कैट, एर्णाकुलम बेंच के एमए संख्या 180/00538/2022 (ओए संख्या 180/862/2018 में) दिनांक 08.09.2023 के आदेश के अनुसरण में और सीबीआईसी के पत्र एफ.नं.ए23011/44/2020-एडी. IIए -पार्ट (2) दिनांक 29.02.2024 और अपर आयुक्त (का व सत) द्वारा फाइल संख्या GEXCOM /II/(39)/42/2020-Estt में जारी परिपत्र दिनांक 11.04.2024 के अनुसरण में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित अधीक्षक जो सीधी भर्ती निरीक्षक थे, उन्हें 4800/- रुपये के जीपी में एमएसीपी प्रदान करने की तारीख से 4 साल पूरे होने पर 5400/- रुपये (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 9) के जीपी में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जाता है।

क्रम सं	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	अधीक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने की तारीख	एमएसीपी प्रदान करने की तारीख	प्रथम/ द्वितीय / त्रितीय एमएसीपी	एनऍफ़यू प्रदान करने की तारीख
1	लीजिन जे कमल	01.02.2023	12.04.2021	त्रितीय	12.04.2025
2	संतोष टी एस	22.06.2023	12.04.2021	त्रितीय	12.04.2025
3	मल्लजीत सोनोवाल	01.01.2025	15.12.2021	प्रथम	15.12.2025
4	जिन्सी एम पी	22.10.2021	27.01.2021	प्रथम	27.01.2025
5	षानिमा ए आर	27.01.2023	28.10.2021	प्रथम	28.10.2025

2. अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में इस आदेश के जारी होने के एक महीने के भीतर समय-समय पर संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.09.1981, 09.11.1987 और 28.11.2019 के अनुसार वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा।

3. जिन अधिकारियों को भविष्य की तारीखों पर एनएफयू प्रदान किया गया है, उनके वेतन निर्धारण के समय आज की तारीख के हिसाब से सतर्कता स्वीकृति भविष्य की तारीखों पर ली जा सकती है |

4. यह आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[जोमी जेकब]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

संबंधित व्यक्तियां (संबंधित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि :

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी , केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम मंडल

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-ESTT **दिनांक : 14.11.2025**

आदेश सं.: 263 / 2025

विषय : - आशुलिपिक ग्रेड -I /ग्रेड -II की श्रेणियों में तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड -I /ग्रेड -II की श्रेणियों में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	कुनाल, आशुलिपिक -ग्रेड -I	30.09.2002	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
2.	गीतांजली बी वी आशुलिपिक -ग्रेड -II	17.04.1998	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
3.	निधि कुमारी, आशुलिपिक - ग्रेड -II	09.07.2003	कार्यग्रहण करने पर	नासिन, कोचिन (सीसीओ-सीसीए से ऋण आधार पर)
4.	गौरव, आशुलिपिक -ग्रेड -II	26.07.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि[सीमा शुल्क (अपील)आयुक्त के साठ नियुक्त
5.	नवीन ध्रुव दिवाकर, आशुलिपिक -ग्रेड -II	19.02.2005	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
6.	अभय पाण्डेय, आशुलिपिक - ग्रेड -II	10.08.2001	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
7.	कुनाल, आशुलिपिक -ग्रेड -II	01.07.2000	कार्यग्रहण	सीसीओ-सीसीए

			करने पर	
8.	रोहित बाथम, आशुलिपिक - ग्रेड -II	07.06.2006	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोळिक्कोड आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/लेखा परीक्षा /अपील / कोळिक्कोड / तिरुवनंतपुरम
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. सीमा शुल्क (अपील) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स/सत.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/41/2023-Estt दिनांक : 25.11.2025

स्थापना आदेश सं.: 264 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/103645)

विषय :- हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय द्वारा जारी दिनांक 05.08.2025 की समसंख्यक नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, **श्री साबु सी(ओबीसी श्रेणी)** को, जो पहले अंशकालिक आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, नियमित कर दिया गया है और उन्हें अस्थायी क्षमता पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000- रु.56,900) में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, दिनांक **19.11.2025(पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री साबु सी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

फारा

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री साबु सी,
सुपुत्र स्वर्गीय श्री भास्करन,
चेंगऴतु परम्बिल, कोल्लाड डाकघर,
कोट्टयम, केरल -686004

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt **दिनांक : 24.11.2025**

स्थापना आदेश सं.: 265 / 2025

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि/आशुलिपिक-II/103441)

विषय :- एसएससी -आशुलिपिक परीक्षा, 2024 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड -II में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.10.2025 की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र A-12025/3/2024 -Ad-IIIB Section-CBEC दिनांक 09.09.2025 के ज़रिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री ऋतिक कुमार** को वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित, चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड -II के रूप में दिनांक **21.11.2025 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री ऋतिक कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी बताया जाता है कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों पर निर्भर है, और अगर जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा, या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, 'क्रीमी लेयर' से संबंधित न होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो उनकी सेवाओं को कोई और कारण बताए बिना और इस तरह की आगे की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आईपीसी या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के तहत झूठे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए किया जा सकता है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में लागू)।

फारा

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री ऋतिक कुमार,
सुपुत्र धरमवीर सिंह,

गाँव -जय सिंह जोत,
डाकघर- रेहार, तहसील -धामपुर,
जिला -बिजनोर, उत्तर प्रदेश = 246722

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.),केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-ESTT दिनांक : 25.11.2025

आदेश सं.: 266 / 2025

विषय : - आशुलिपिक ग्रेड -II की श्रेणी में तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक -II की श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	ऋतिक कुमार	16.04.2002	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय,

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[डॉ फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स/सत.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-ESTT **दिनांक : 03.12.2025**

आदेश सं.: 267 / 2025

विषय : - हवलदार की श्रेणी में तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

हवलदार के श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	साबु सी	21.04.1969	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

2. उपर्युक्त अधिकारी को तुरंत नई तैनाती के स्थान पर कार्यग्रहण करना चाहिए|
3. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |
4. नियत्रक अधिकारी को दिनांक 05.12.2025 तक अनुपालन की रिपोर्ट देनी है।

माया कुरियन

[माया कुरियन]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के सभी उप/सहायक आयुक्त
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स/सत./मुख्यालय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-ESTT **दिनांक : 01.12.2025**

आदेश सं.: 268 / 2025

विषय : - आशुलिपिक ग्रेड -II की श्रेणी में तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

आशुलिपिक -II की श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	ऋतिक कुमार	16.04.2002	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	संयुक्त आयुक्त(ले.प./विधिक) की इकाई,मु.,कोच्चि में अतिरिक्त प्रभार के साथ आयुक्त की इकाई, मु.कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. संयुक्त आयुक्त (ले.प./विधिक), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मु.,कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स/सत.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(11)/5/2021-ESTT **दिनांक: 08.12.2025**

स्थापना आदेश सं.: 269 /2025

विषय : निरीक्षक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से निरीक्षक की श्रेणी में स्थाई बनाई गईं हैं : -

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1.	विष्णु एम पिल्लै	24.01.1994	20.01.2025 पूर्वाह्न
2.	अंजना के	22.01.1998	25.01.2025 पूर्वाह्न
3.	अक्षय के	22.12.1995	02.02.2025 पूर्वाह्न
4.	अभय पी एस	04.08.1997	08.02.2025 पूर्वाह्न
5.	श्रीहरी के	20.06.1997	20.01.2025 पूर्वाह्न
6.	हिमा के	09.02.1994	01.02.2025 पूर्वाह्न
7.	नोएल ई वी	11.03.1999	06.02.2025 पूर्वाह्न
8.	मोहियद्दीन के	12.02.1991	14.02.2025 पूर्वाह्न
9.	राहित ए	30.05.1996	20.01.2025 पूर्वाह्न
10.	अरविंद एस	28.04.1995	27.01.2025 पूर्वाह्न
11.	मणी सिंह राठौर	11.08.1994	20.03.2025 पूर्वाह्न
12.	अनीष जी एस	20.05.1992	06.02.2025 पूर्वाह्न
13.	श्रीराग एस ए	15.11.1996	20.01.2025 पूर्वाह्न
14.	राहुल कुमार (सं.1)	09.06.1995	27.03.2025 पूर्वाह्न
15.	राम मोहन मीना	11.01.1999	10.02.2025 पूर्वाह्न
16.	जिन्स पयस	16.01.1997	13.06.2025 पूर्वाह्न
17.	रेजित एस	29.10.1994	30.06.2025 पूर्वाह्न
18.	अरविंद सुदेव एस	25.03.1993	25.07.2025 पूर्वाह्न
19.	ऐश्वर्या पी	03.03.1999	20.06.2025 पूर्वाह्न
20.	पी के अश्वनी पद्मनाभन	26.07.1995	04.07.2025 पूर्वाह्न
21.	जितिन पी	12.05.1999	28.06.2025 पूर्वाह्न
22.	अनंता कृष्णन जी ए	31.12.1994	23.06.2025 पूर्वाह्न
23.	संदीप एस	11.07.1998	13.06.2025 पूर्वाह्न
24.	अभिषेक चौरसिया	20.11.1997	30.06.2025 पूर्वाह्न
25.	हिमांशु सिंह	29.04.1998	13.06.2025 पूर्वाह्न
26.	दानिष खान	19.07.1996	20.06.2025 पूर्वाह्न

27.	आकाश श्रीवास्तव	30.07.1994	30.06.2025 पूर्वाह्न
28.	विनोद मीना	22.08.1997	16.06.2025 पूर्वाह्न

2. संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

3. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[डॉ ए वेंकडेश बाबु]
संयुक्त आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारियों के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोळिक्कोड/अपील/लेखा परीक्षा,कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोळिक्कोड/अपील/ सीमा शुल्क (निवारक) /लेखा परीक्षा,कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ)/ अधीक्षक(गोप./सत॰), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोळिक्कोड/अपील/ सीमा शुल्क (निवारक) /लेखा परीक्षा,कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT. **दिनांक : 09.12.2025**

आदेश संख्या : 270/2025

विषय: केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन के अधीक्षक एवं निरीक्षक के संवर्ग में स्थानांतरण व तैनाती के संबंध में।

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम ज़ोन के अधीक्षक और निरीक्षक के संवर्गों में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का तत्काल प्रभाव से आदेश दिया जाता है।

क्र सं	अधिकारी का नाम व पदनाम (श्री)	जन्म तिथि	कहां से	कहां पर
1	राधेश एस अधीक्षक	24.08.1967	प्रतिनियुक्ति के बाद कार्यग्रहण करने पर	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
2	निशांत सक्सेना अधीक्षक	28.08.1990	प्रतिनियुक्ति के बाद कार्यग्रहण करने और प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ उठाने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
3	रोबिन गोयल निरीक्षक	20.06.1985	अ.क्षे.स्था. रद्द होने के बाद प्रत्यावर्तन पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्कआयुक्तालय, कोच्चि

2. पर्यवेक्षकीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों को उनके पिछले पद से तभी मुक्त किया जाए जब कार्यमुक्ति / कार्य सौंपने से संबंधित नोटों का आपसी आदान-प्रदान किया जाए ताकि सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों को 12.12.2025 तक उनके वर्तमान पद से मुक्त किया जाना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय के भीतर मुक्त नहीं हो रहे हैं तो पर्यवेक्षकीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नए आयुक्तालयों में स्थानांतरित अधिकारियों की आईपीआर / सूचना फाइलें अद्यतन की जाएं और संबंधित आयुक्तालयों को भेजी जाएं।

4. तैनाती के स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम जोन की मंजूरी से जारी किया जाता है।
6. नियंत्रक अधिकारियों को 15.12.2025 तक अनुपालन की रिपोर्ट देनी है।

[डॉ.ए.वेंकडेश बाबु]
संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में
संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि/ लेखापरीक्षा आयुक्तालय
3. आयुक्त, सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय, कोच्चि

प्रतिलिपि:-

1. सीएओ/ पीएओ कें. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि/लेखापरीक्षा आयुक्तालय/ सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय ।
2. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ)/ अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता), कोच्चि/ लेखापरीक्षा/ सीमाशुल्क निवारक
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) को वेब साइट पर अपलोड करने के लिए|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT **दिनांक : 09.12.2025**

आदेश संख्या : 271 /2025

विषय: अधीक्षक, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

श्री. प्रदूमन सिंह (जन्मतिथि- 25.09.1998), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक को नियमित आधार पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में, वर्ग 'बी' पद पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में, साथ ही कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उच्च पद पर लागू भत्ते सहित पदोन्नत किया जाता है, और यह अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

2. अधीक्षक के संवर्ग में अधिकारी की वरिष्ठता श्री. अश्वान्त राज डी से तुरंत नीचे और श्री. संजय से ऊपर सौंपी जाती है।
3. निरीक्षकों को अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति, सीएटी एरणाकुलम बेंच के ओ.पी. (सी.ए.टी.) संख्या 4305 / 2011, ओ.पी. (सी.ए.टी.) 999/2012, ओ.पी. (सी.ए.टी.) 998/2012, ओ.पी. (सी.ए.टी.) 996/2012, ओए संख्या 523/2023, 527/2023, 543/2023 व 344/2024 में दिनांक 28.03.2012 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एस.एल.पी. संख्या 20810 / 2012 के अंतिम परिणाम और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एस.एल.पी.(सी) संख्या 16161 / 2018 से उत्पन्न सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष लंबित निर्णय और संबंधित न्यायालयों / ट्रिब्यूनलों में अन्य लंबित मामलों के अधीन है। 4. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुर के अनुमोदन से जारी है |
4. अधिकारी को अधीक्षक के पद पर कार्यवाहक (ऑफिसिएटिंग) आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जब तक कि उनके कनिष्ठ अधिकारियों को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता। तत्पश्चात्, जो अधिकारी नवीनतम रूप से पदोन्नत होंगे, उन्हें कार्यवाहक आधार पर माना जाएगा। कुल चार अनारक्षित श्रेणी के अधिकारी जो वरिष्ठता में सबसे कनिष्ठ हैं, अगले आदेश तक सदैव कार्यवाहक आधार पर ही रहेंगे।
5. अधिकारी तत्काल कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं तथा किसी भी स्थिति में 19.12.2025 के बाद नहीं।
6. अधिकारी के कार्यग्रहण करने / कार्यग्रहण न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय

को 22.12.2025 तक भेज दी जाए|

[डॉ.ए.वैंकडेश बाबु]
संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में

संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय, कोच्चि

प्रतिलिपि:-

1. सीएओ/ पीएओ कें. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि/ सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय ।
2. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ)/ अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता), कोच्चि/सीमाशुल्क निवारक
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) को वेब साइट पर अपलोड करने के लिए|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT **दिनांक : 23.12.2025**

आदेश संख्या : 272/2025

विषय: अधीक्षक, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति के संबंध में।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, को उनके तत्काल कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि अर्थात् **07.11.2025** से प्रभावी, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-**8** में, साथ ही समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देय भत्ते सहित वर्ग 'बी' अधीक्षक, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क्र सं	नाम (श्रीमती)	वर्तमान तैनाती स्थान	समय-सीमा जिसके भीतर अधिकारी को मूल संवर्ग में पुनः कार्यभार ग्रहण करना चाहिए
1	पोरुश रोयल	प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली	17.12.2027

2. उपर्युक्त अधिकारी, जो प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उधार लेने वाले संगठन में निम्न पद पर कार्य करना जारी रख सकते हैं तथा मूल संगठन में अधीक्षक संवर्ग में उनकी वरिष्ठता एवं वेतन संरक्षित रहेंगे।
3. वरिष्ठता के उद्देश्य से पदोन्नति की प्रभावी तिथि पदोन्नति आदेश की तिथि (अर्थात् 07.11.2025) ही मानी जाएगी।
4. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुर के अनुमोदन से जारी है |

[डॉ. फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में

संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि:-

1. सहायक निदेशक,प्रवर्तन निदेशालय, कमरा सं. 111, ए ब्लॉक, प्रवर्तन भवन, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली - 110011
2. सीएओ/ पीएओ कें. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि।
3. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ)/ अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता), कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) को वेब साइट पर अपलोड करने के लिए|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

F.No:II/(3)/APPT/25/2020-ESTT **दिनांक : 23.12.2025**

आदेश संख्या : 273 /2025

विषय: अधीक्षक, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

श्री. परमोद (जन्मतिथि- 20.11.1986), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक को नियमित आधार पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में, वर्ग 'बी' पद पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में, साथ ही कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उच्च पद पर लागू भत्ते सहित पदोन्नत किया जाता है, और यह अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

2. अधीक्षक के संवर्ग में अधिकारी की वरिष्ठता श्री. अखिल राज डी से तुरंत नीचे और श्री. विशाख एस से ऊपर सौंपी जाती है।
3. निरीक्षकों को अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति, सीएटी एरणाकुलम बेंच के ओ.पी. (सी.ए.टी.) संख्या 4305 / 2011, ओ.पी. (सी.ए.टी.) 999/2012, ओ.पी. (सी.ए.टी.) 998/2012, ओ.पी. (सी.ए.टी.) 996/2012, ओए संख्या 523/2023, 527/2023, 543/2023 व 344/2024 में दिनांक 28.03.2012 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एस.एल.पी. संख्या 20810 / 2012 के अंतिम परिणाम और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एस.एल.पी.(सी) संख्या 16161 / 2018 से उत्पन्न सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष लंबित निर्णय और संबंधित न्यायालयों / ट्रिब्यूनलों में अन्य लंबित मामलों के अधीन है। 4. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुर के अनुमोदन से जारी है |
4. अधिकारी को अधीक्षक के पद पर कार्यवाहक (ऑफिसिएटिंग) आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जब तक कि उनके कनिष्ठ अधिकारियों को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता। तत्पश्चात्, जो अधिकारी नवीनतम रूप से पदोन्नत होंगे, उन्हें कार्यवाहक आधार पर माना जाएगा। कुल चार अनारक्षित श्रेणी के अधिकारी जो वरिष्ठता में सबसे कनिष्ठ हैं, अगले आदेश तक सदैव कार्यवाहक आधार पर ही रहेंगे।
5. अधिकारी तत्काल कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं तथा किसी भी स्थिति में 26.12.2025 से बाद नहीं।
6. अधिकारी के कार्यग्रहण करने / कार्यग्रहण न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय

को 29.12.2025 तक भेज दी जाए|

[डॉ. फारा ज़खरिया]

संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में

संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि:-

1. सीएओ/ पीएओ कें. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि/ कालिकट आयुक्तालय ।
2. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ)/ अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता), कोच्चि/कालिकट आयुक्तालय
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) को वेब साइट पर अपलोड करने के लिए|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(33)/1/2022-Estt **दिनांक : 22.12.2025**

आदेश संख्या : 274/2025

विषय: श्रीमती शिखा मल्होत्रा, आशुलिपिक ग्रेड-II का, पुनर्ग्रहणाधिकार के आधार पर मूल संवर्ग में पुनः कार्यग्रहण।- संबन्धित।

श्रीमती शिखा मल्होत्रा, आशुलिपिल ग्रेड-II, जो केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन में पुनर्ग्रहणाधिकार धारित कर रही हैं, ने अपने मूल संवर्ग में पुनः कार्यग्रहण हेतु दिए गए अनुरोध तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तिज़ हजारी न्यायालय, दिल्ली के कार्यालय से आदेश संख्या 63260–63280/स्था.-1/पीएफ /2025 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय में दिनांक 15.12.2025 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण किया है।

2. सक्षम प्राधिकारी ने, दिनांक 15.12.2025 (पूर्वाह्न) से इस विभाग में आशुलिपिक ग्रेड-II के रूप में पुनः कार्यग्रहण करने से संबंधित उनके दिनांक 15.12.2025 के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तिज़ हजारी न्यायालय, दिल्ली के कार्यालय में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि का विनियमन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28020/1/2010-Estt.(C) दिनांक 17.08.2016 के अनुसार किया जाएगा।

3. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

[माया कुरियन]
उप आयुक्त (का व स)

सेवा में
संबंधित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तिज़ हजारी न्यायालय, दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. सीएओ/ पीएओ /एओ (डीडीओ) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि।
2. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |
3. अधीक्षक (सिस्टम्स व सतर्कता)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/5/2021-ESTT **दिनांक : 24.12.2025**

स्थापना आदेश संख्या : 275/2025

विषय: निरीक्षक के कैडर में पुष्टीकरण - संबन्धित।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी का.ज्ञा. संख्या 28020/1/ 2010-स्था (सी) दिनांक 21.07.2014 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से निरीक्षक के ग्रेड में पुष्टि की जाती है।

क्र सं	नाम (श्री)	जन्म तिथि	पुष्टीकरण की तिथि
1	राहुल कुमार (नं II)	15.11.1999	30.06.2025 पूर्वाह्न से

2. संबंधित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि की जाए।

3. यह आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी है।

[डॉ. फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त

सेवा में
संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय , कोच्चि

प्रतिलिपि:-

1. सीएओ/ पीएओ के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि एवं सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय ।
2. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ)/ अधीक्षक(गोपनीय / सतर्कता) कोच्चि/ सीमाशुल्क निवारक
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020–Estt **दिनांक : 31.12.2025**

आदेश संख्या : 276/2025

विषय: कर सहायक के कैडर में पदोन्नति- संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हवलदार को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (₹25,500-81,100) में, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्ते सहित, कर सहायक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। यह पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

क्र सं	नाम (श्री)	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान
1	श्रीराज पी	20.3.1968	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय , कोच्चि

2. अधिकारी को 01.01.2026 को या उसके बाद और नवीनतम 14.01.2026 तक पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करना चाहिए। ऐसा न करने पर इस आदेश को रद्द माना जाएगा। यदि कोई अस्वीकृति हो, तो उसे तुरंत लिखित में प्रस्तुत करें। उन्हें पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर डीओपीटी के दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के का. ज्ञा. के अनुसार वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

3. नियंत्रण अधिकारी / संबंधित अधिकारी द्वारा अधिकारी के कार्यग्रहण करने / न करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 20.01.2026 तक इस कार्यालय को भेज दी जाएं।

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त

सेवा में
संबंधित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय , कोच्चि

प्रतिलिपि:-

1. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |
2. सीएओ/ पीएओ /एओ (डीडीओ) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि।
3. अधीक्षक (सिस्टम्स व सतर्कता)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt **दिनांक : 05.01.2026**

आदेश संख्या : 277/2025

विषय: आशुलिपिक ग्रेड-2 के कैडर में तैनाती - केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- के संवर्ग में निम्नलिखित तैनाती का तत्काल प्रभाव से आदेश दिया जाता है:

क्र सं	नाम (श्रीमती)	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	
			कहाँ से	कहाँ पर
1	शिखा मलहोत्रा	25.11.1991	पुन: कार्यभार ग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है |

[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त

सेवा में
संबंधित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

1. मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, कें.कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि:-

1. सीएओ/ पीएओ /एओ (डीडीओ) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि।
2. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |
3. अधीक्षक (सिस्टम्स व सतर्कता)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/I(18)/1/2020-ADMN

दिनांक: 17.11.2025

विषय : वर्ष 2026 के दौरान केरल में केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा मनाई जाने वाली बंद छुट्टियों और प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची - सम्बंधित ।

कृपया सचिव एवं खजांची, **CGEWCC,** तिरुवनंतपुरम से प्राप्त केरल में केंद्र सरकार के कार्यालयों में मनाई जाने वाली बंद छुट्टियों और प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची प्रेषित करने वाले पत्र सं. Welfare/A&E/ CGEWCC / 2025 दिनांक 06.11.2025 संलग्न देखें |

संलग्न : यथोपरि

माया कुरियन

[माया कुरियन]
उप आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में :

1. प्रशासनिक अधिकारी, एर्णाकुलम मंडल /काक्क्नाड मंडल /आलुवा मंडल /त्रिश्शूर मंडल /चालक्कुडी मंडल /पेरुम्बावूर मंडल /इडुक्की मंडल
2. सभी अनुभाग प्रमुख, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि/ ई डी पी कक्ष

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/1/2020-ESTT **दिनांक: 12.12.2025**

स्थापना परिपत्र

निम्नलिखित पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय [SAFEM(FOP)A &NDPSA] का SF No.52/2025-26 दिनांक 10.11.2025	ऋण के आधार पर सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक, SAFEM(FOP)A और NDPSA, चेन्नई के कार्यालय में अधीक्षक (सीबीआईसी) और निरीक्षक (सीबीआईसी) के पद के लिए रज़ामंदी	

उपरोक्त उल्लिखित पत्र की प्रति जानकारी के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट -www cenexcisekochi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है |

[माया कुरियन]
उप आयुक्त[का.व सत.]

प्रति प्रस्तुत है :-

1. **मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र**
2. **आयुक्त, केंद्रीय कर एवं द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि**
3. **संयुक्त आयुक्त (का व सत), केंद्रीय कर एवं द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि**

प्रति :-

1. **कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के सहायक/उप आयुक्त**

2. मुख्यालय कोच्चि में सभी अनुभाग प्रमुख
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. सूचना पट्ट, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2022-Estt **दिनांक : 31.10.2025**

कार्यालय आदेश

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच अस्थाई रूप से कार्य आवंटन - संबन्धित।

कृपया कोच्चि आयुक्तालय के अपर / संयुक्त आयुक्तों के बीच कर्तव्यों के आवंटन के संबंध में दिनांक 07.10.2025 के आदेश संख्या 244 / 2025 का संदर्भ लें ।

2. डॉ. फराह जकरिया, संयुक्त आयुक्त का कार्यप्रभार, जिन्हें 24.10.2025 को एनएसीआईएन पलासमुद्रम में दिनांक 27.10.2025 से आईआरएस अधिकारियों के लिए मिड-कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे चरण में भाग लेने के लिए इस कार्यालय से मुक्त कर दिया गया है, श्री जोमी जैकब, अपर आयुक्त (सीसीओ) को अस्थायी रूप से, अधिकारी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद फिर से कार्यभार ग्रहण करते समय तक, आवंटित किया जाता है |

3. श्री जोमी जैकब, अपर आयुक्त की अनुपस्थिति / अवकाश में, डॉ. ए. वेंकदेश बाबू, संयुक्त आयुक्त द्वारा डॉ. फराह जकरिया, संयुक्त आयुक्त द्वारा धारित प्रभार संभालेंगे।

4. यह मुख्य आयुक्त ,केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[के. कालिमुत्तु]
आयुक्त

सेवा में
संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-
मुख्य आयुक्त, कें.कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. सहायक निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि |
5. अधीक्षक (सिस्टम्स)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT. **Date: As e-signed**

ORDER No. 242/2025

Sub: Transfer & Postings in the cadres of Superintendent & Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadres of Superintendent & Inspector of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name & Designation of the Officer (Shri.)	Date of Birth	From	To
1.	Muralidharan K, Superintendent	01.05.1967	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2.	Rajith T G, Superintendent	01.06.1967	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
3.	Dinesh Kumar, Superintendent	20.11.1989	On joining after deputation and availing proforma promotion	Central Tax & Central Excise , Commissionerate, Thiruvananthapuram
4.	Omanshu Tripathi, Inspector	22.12.2001	CGLE 2024 – New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

Rcd 21/10/2025 done

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers, except the new recruit, are to be relieved from their present place of posting by **24.10.2025.** The new recruit is to join immediately on his relief. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

5. The controlling officers are to report compliance by **29.10.2025.**

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 21-10-2025
17:31:06

[Farah Zachariah]
Joint Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode**
3. **The Commissioner of Customs Preventive, Cochin.**

Copy to:

1 **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode /Custom Preventive, Kochi.**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode /Custom Preventive, Kochi.**
4. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
5. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ / Thiruvananthapuram / Kozhikode /Custom Preventive.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **Date: *As E-signed***

ORDER NO. 243/2025

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

The following work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1st Link	2nd Link
1.	Maya Kurian	Establishment, Personnel & Vigilance, Administration & Accounts, CRU, Systems, CPGRAM	Sarath Chandran M.	Subha Chandran
2.	Sarath Chandran M.	Anti Evasion, Verification Cell, Technical & Statistics, Parliament Questions, DGARM	Maya Kurian	Subha Chandran
3.	R. Shyju	Adjudication	Raja Tomy	Sarath Chandran M.
4.	Ranjit Santakumar	Review-I, Headquarters, Infrastructure,	Subha Chandran	Raja Tomy

Rcd 7-10-2025 dom

		Welfare, Sports, Swachh Bharat, Sugamya Bharat		
5.	Subha Chandran	Audit, Tax Arrear Recovery, Review-II (pertaining to Ernakulam Division)	R. Latha	Ranjit Santakumar
6.	Raja Tomy	Right to Information Act (CPIO), Training, Sevottam, GST Seva Kendra	R. Shyju	R. Latha
7.	R. Latha	Legal & Prosecution	Ranjit Santakumar	R. Shyju
8.	Rajesh Jacob K	Aluva Division	Beena Vas S.	C. Santosh Kumar Menon
9.	Sudarshan Nanasaheb Sonawane	Ernakulam Division	C. Santosh Kumar Menon	Marykutty Chacko
10.	C. Santosh Kumar Menon	Kakkanad Division	Marykutty Chacko	Sudarshan Nanasaheb Sonawane
11.	Beena Vas S.	Chalakudy Division	Sasidharan	Joy Joseph
12.	Sasidharan	Thrissur Division	Rajesh Jacob K	Beena Vas S.
13.	Marykutty Chacko	Perumbavoor Division	Joy Joseph	Sasidharan
14.	Joy Joseph	Idukki Division	Marykutty Chacko	C. Santosh Kumar Menon

2. In addition to the charges assigned, the officers shall attend to any other work assigned by the controlling officer from time to time.

3. Shri. Raja Tomy, Assistant Commissioner, will be the link officer for Assistant Director (Official Language), Headquarters Kochi.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Rani C R
Date: 07-10-2025
18:26:23

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**
5. **The AD (OL), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2022-Estt **Date: *As E-signed***

ORDER NO. 244/2025

Sub: Work Allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

Consequent on the issue of Office Order No.36/2025 (DGHRD/ADC-JC/163/2025) dated 12.09.2025 by the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone and subsequent relief of Smt. Rani C.R., Additional Commissioner vide letter GEXCOM/II/39/3/2023-Estt dated 07.10.2025, the following work allocation among Additional/Joint Commissioners of Kochi CGST & CX Commissionerate is hereby ordered with immediate effect until further orders.

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	Link Officer
1.	Farah Zachariah, Joint Commissioner	Establishment, Personnel & Vigilance, Administration & Accounts, Bhavishya, CRU, Systems, CPGRAM, Anti Evasion, Verification Cell, Technical & Statistics, Parliament Questions, DGARM, Headquarters, Infrastructure, Welfare, Sports, Swachh Bharat, Sugamya Bharat, Right to Information Act, Official Language; Supervision of Kakkanad, Chalakudy and Thrissur Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner (Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate).	Dr. A. Venkadesh Babu, Joint Commissioner

Rcd 7-10-2025 done

2.	Dr. A. Venkadesh Babu, Joint Commissioner	Adjudication, Review-I & II, Audit, Tax Arrears Recovery, Legal & Prosecution, Right to Information Act (Appeals), Training, Sevottam, GST Seva Kendra; Supervision of Aluva, Perumbavoor, Idukki and Ernakulam Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner (Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate).	Farah Zachariah, Joint Commissioner

2. Hindi version follows.

Digitally signed by
K. Kalimuthu
Date: 07-10-2025
15:40:32

[K. Kalimuthu]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**
5. **The AD (OL), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/16/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 245/2025

Sub: Transfer and posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Tushar Shekhar	10.07.2000	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi (loan basis from CCO-CCA)

2. Controlling officer shall ensure that the officer is relieved from his previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer is to be relieved from his present place of posting by 16.10.2025 and to join his new place of posting latest by 17.10.2025. Controlling officer will be held responsible if the officer is not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Rcd 14-10-2025 dom

5. The controlling officer is to report compliance by 15.10.2025.

6. Hindi version follows.

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 14-10-2025
14:38:25

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Appeals, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Appeals.**
2. **The AD (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vig), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT **Date: As e-signed**

ORDER NO: 246/2025

Sub:- Grant of Non-functional upgradation to Superintendents of Central Tax and Central Excise –Reg.

In pursuance to Order in OA No 180/862/2018 dated 26.02.2019 of the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench and CBIC letter F.No. A-23011/11/2019-Ad.IIA dated 23.05.2019 and in pursuance to Order in MA No. 180/00538/2022 (in OA No 180/862/2018) dated 08.09.2023 of the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench and CBIC letter F.No. A23011/44/2020-Ad.IIA-Part(2) dated 29.02.2024 and Circular dated 11.04.2024 issued by Additional Commissioner (P&V), Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, Thiruvananthapuram Zone in file no. GEXCOM/II/(39)/42/2020- Estt, the following Superintendents are granted non - functional up gradation to the GP of Rs.5400/-(Level 9 of the pay matrix) on completion of 4 years from the date of grant of MACP in GP of Rs.4800/-.

Sl. No.	Name (Shri./Smt.)	Date of joining as Superintendent	Date of granting MACP	1st/2nd/3rd MACP	Date from which NFU is granted
1	P.L. JOY	04.11.2014	18.12.2012	2nd	18.12.2016
2	P.D. SANTHOSH BABU	04.11.2014	19.12.2012	2nd	19.12.2016
3	PRIYA K.K.	22.06.2023	12.04.2021	3rd	12.04.2025
4	RAJESH KUMAR	27.01.2023	28.10.2021	1st	28.10.2025
5	BHASKARNATH	02.01.2023	14.11.2021	1st	14.11.2025

Rcd 21-10-2025
done

Further, the following Superintendents have been granted non - functional upgradation in GP of Rs.5400/- (Level 9 of the pay matrix) on completion of 4 years from the date of joining as Superintendent.

Sl.No.	Name (Shri./Smt.)	Date of joining as Superintendent on Promotion	Date from which NFU is granted
1	PARDEEP TANWAR	08.03.2021	08.03.2025
2	JAYANTA BISWAS	22.10.2021	22.10.2025
3	JACOB JOSEPH	22.10.2021	22.10.2025
4	POTHURAJU SIVA PRASAD	22.10.2021	22.10.2025

2. The officers will have to exercise option for pay fixation in terms of DOP&T OM dated 26.09.1981, 09.11.1987 and 28.11.2019 as amended from time to time within one month from the issue of this order in the prescribed format.

3. Vigilance clearance as on date may be obtained at the time of their pay fixation in respect of officers who have been granted NFU on future dates.

4. This is issued with the approval of the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 21-10-2025
15:59:27

[Farah Zachariah]
Joint Commissioner (P&V)

To

The Individuals (through controlling officer concerned)

Copy to:

1. **The Pay & Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
2. **The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
3. **The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Aluva / Chalakudy Division.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt Pt. (1) **Date:** ***As E-Signed***

ORDER NO. 247/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/96153)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, **Shri. Bholu Raghuwanshi,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar under **EWS category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **17.10.2025 (F.N).**

2. **Shri. Bholu Raghuwanshi** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such

Rcd 21-10-2025 dowl

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe/Income & Asset certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 21-10-2025
14:41:18

(Farah Zachariah)
Joint Commissioner (P&V)

To

Shri. Bholu Raghuwanshi
S/O Keshri Singh Raghuwanshi,
Gram Beesor, Post Bisore,
Tehsil Naisarai, Ashok Nagar,
Madhya Pradesh-473330..

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt Pt. (1) **Date: *As E-Signed***

ORDER NO. 248/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/96152)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, **Shri. Anurag Mishra,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar under **EWS category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **17.10.2025 (F.N).**

2. **Shri. Anurag Mishra** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such

Rcd 21-10-2025 dom

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe/Income & Asset certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 21-10-2025
14:37:16

(Farah Zachariah)
Joint Commissioner (P&V)

To

Shri. Anurag Mishra
S/O Mahendra Prasad Mishra,
I-11 Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony, Bhopal,
Madhya Pradesh-462016.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2025-Estt Pt. (1) **Date:** ***As E-Signed***

ORDER NO. 248/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/96129)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2024 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 24.04.2025, **Shri. Dinesh Kumar Meena,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar under **ST category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.10.2025 (F.N).**

2. **Shri. Dinesh Kumar Meena** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such

Rcd 24-10-2025 done

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe/Income & Asset certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 24-10-2025
17:47:00

(Dr. Farah Zachariah)
Joint Commissioner (P&V)

To

Shri. Dinesh Kumar Meena
S/O Moolchand Meena,
Dhani Bandha Ki, Vpo Natata,
Tehsil Jamwaramgarh, Jaipur,
Rajasthan-302028,

(By E-mail)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/30/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 250/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-I/103434)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-I through SSC – Stenographer Examination, 2024 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.10.2025, **Shri. Kunal,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-I under **SC category** vide letter A-12025/3/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 09.09.2025, is appointed as Stenographer Grade-I in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.10.2025 (F.N).**

2. **Shri. Kunal** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Rcd 27-10-2025 dom

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
K. Kalimuthu
Date: 27-10-2025
14:09:46

[K. Kalimuthu]
Commissioner

To

Shri. Kunal
S/o Ajbir Singh,
803, Tower-9,
Sarojini Nagar,
New Delhi - 110023.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 251/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/103436)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2024 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.10.2025, **Shri. Abhay Pandey,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **EWS category** vide letter A-12025/3/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 09.09.2025, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.10.2025 (F.N).**

2. **Shri. Abhay Pandey** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Rcd 24-10-2025 done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 24-10-2025
17:57:14

[Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Abhay Pandey
S/o Kamlesh Kumar Pandey,
Village-Bajahan,
Post-Chhibaiya,
Jhunsi, Allahabad,
Uttar Pradesh – 211019.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 252/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/103439)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2024 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.10.2025, **Shri. Gaurav,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **OBC category** vide letter A-12025/3/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 09.09.2025, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.10.2025 (F.N).**

2. **Shri. Gaurav** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Rcd 24-10-2025 done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 24-10-2025
17:55:28

[Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Gaurav
S/o Suresh Kumar,
643, Harijan Mohalla,
Bakhtawar Pur,
North West Delhi,
New Delhi - 110036.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 253/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/103435)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2024 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.10.2025, **Ms. Geethanjali B.V.,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **OBC category** vide letter A-12025/3/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 09.09.2025, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.10.2025 (F.N).**

2. **Ms. Geethanjali B.V.** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

Rcd 24-10-2025 done

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 24-10-2025
17:53:00

[Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

Ms. Geethanjali B.V.
D/o Viswakumar,
Viswanikethan, Vellarada,
Vellarada PO,
Thiruvanathapuram,
Kerala - 695505.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 254/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/103442)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2024 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.10.2025, **Shri. Navin Dhruv Diwakar,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as StenographerGrade-II under **SC category** vide letter A-12025/3/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 09.09.2025, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.10.2025 (F.N).**

2. **Shri. Navin Dhruv Diwakar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Rcd 24-10-2025 done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 24-10-2025
17:56:25

[Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Navin Dhruv Diwakar
S/o Amit Kumar Diwakar,
Vaishali Colony, Kashipur,
Udham Singh Nagar,
Uttarakhand - 244713.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 255/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/103438)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2024 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.10.2025, **Ms. Nidhi Kumari,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **OBC category** vide letter A-12025/3/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 09.09.2025, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.10.2025 (F.N).**

2. **Ms. Nidhi Kumari** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 24-10-2025
17:54:29

[Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

Ms. Nidhi Kumari
D/o Sanjeev Kumar,
Vill-New Etwarpur,
PO-Kurthaul, PS-Parsa Bazar,
Patna, Bihar - 804453.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT. **Date: As e-signed**

ORDER No. 256/2025

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name of the Officer (Shri.)	Date of Birth	From	To
1.	Yadu Krishna P M	17.02.1999	Vigilance Section, Hqrs Kochi	Kakkanad Divison
2.	Omanshu Tripathi	22.12.2001	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate*	Vigilance Section, Hqrs Kochi

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer, except the new recruit, is to be relieved from his present place of posting by **31.10.2025.** Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

Rcd 28-10-2025 done

5. The controlling officers are to report compliance by **03.11.2025.**

Digitally signed by Venkadesh Babu
Date: 28-10-2025 09:50:50

[Dr.A.Venkadesh Babu]
Joint Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Hqrs Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi – for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 257/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/103440)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2024 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.10.2025, **Shri. Kunal,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **SC category** vide letter A-12025/3/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 09.09.2025, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **27.10.2025 (F.N).**

2. **Shri. Kunal** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Rcd 28-10-2025 done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Venkadesh Babu
Date: 28-10-2025
09:58:52

[Dr. A. Venkadesh Babu]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Kunal
S/o Yog Raj,
C-I/903, Madangir,
Dr. Ambedkar Nagar,
South Delhi,
Delhi - 110062.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt. **Date: *As E-signed***

ORDER NO. 258/2025

Sub: Postings in the grade of Havaldar – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following postings in the grade of Havaldar are hereby ordered with immediate effect:

Sl No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Anurag Mishra	16.03.1999	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
2.	Bholu Raghuwanshi	05.05.2002	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
3.	Dinesh Kumar Meena	05.10.2002	On Joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate

2. The above officers are to join immediately on their relief.

3. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

4. Hindi version follows.

Digitally signed by Maya Kurian
Date: 30-10-2025 11:41:10

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officer concerned)

Rcd 30-10-2025 dowl

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.
4. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kozhikode.

Copy to:

1. All Deputy/Assistant Commissioners in Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode.
2. The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode.
3. The Superintendent (Vig./ Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode.
4. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs,Kochi.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 259/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/103437)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2024 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.10.2025, **Shri. Rohit Batham,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **OBC category** vide letter A-12025/3/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 09.09.2025, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **30.10.2025 (F.N).**

2. **Shri. Rohit Batham** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Rcd 30-10-2025 done

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Venkadesh Babu
Date: 30-10-2025
11:45:10

[Dr. A. Venkadesh Babu]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Rohit Batham
S/o Dinesh Batham,
Ward No.25, Durga Nagar,
District - Bhind,
Madhya Pradesh - 477001.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM /II/(39)/72/2021-Estt. **Date : *As e-signed***

ORDER NO. 260/2025

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/ 3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No. A26017 /76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officer is hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effect from the date(s) as mentioned against his name.

Sl. No	Name & designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1st /2nd /3rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay & pay band / Pay matrix level
1	Rosalind Jose Thomas Koruthu, Asstt. Director (OL)	07.10.1974	1st	04.11.2011 *	PB-2 GP 4600 (Level 7)
			2nd	04.11.2021 *	Level 8
2	Rakesh Sangwan, Supdt	02.09.1985	1st	17.09.2022	Level 8
3	Dinesh Kumar, Supdt	20.11.1989	1st	03.12.2023	Level 8
4	Ramendra Singh, Inspr	30.03.1991	1st	15.10.2025	Level 8
5	Anand V.K, Inspr	07.04.1987	1st	30.03.2026	Level 8
6	Sandeep Bisla, Inspr	01.04.1989	1st	01.10.2025	Level 8
7	Manohar Madhav, Inspr	01.07.1991	1st	17.03.2026	Level 8
8	Yugal Kumar Singh, Inspr	19.08.1990	1st	29.03.2026	Level 8

Rcd 4-11-2025 done

9	Priyanka Pushpad, Inspr	01.07.1992	1st	17.03.2026	Level 8
10	Samin Kumar, Inspr	04.02.1992	1st	01.10.2025	Level 8
11	Shilpa Goyal, Inspr	07.03.1989	1st	01.10.2025	Level 8
12	Rajan Rai, Inspr	18.09.1986	1st	26.11.2025	Level 8
13	Nishant Thakur, Inspr	06.08.1987	1st	16.01.2026	Level 8
14	John Mathew, Inspr	21.12.1988	1st	21.03.2026	Level 8
15	Prajith K.P, Inspr	19.07.1987	1st	01.10.2025	Level 8
16	Pranav J, Inspr	05.11.1988	1st	15.10.2025	Level 8
17	Sandeep Kumar, Inspr	15.08.1983	1st	16.12.2023	Level 8
18	Habeeb K, Inspr	14.05.1991	1st	17.03.2026	Level 8
19	Mobin Babu, Inspr	05.10.1988	1st	01.10.2025	Level 8
20	Jacob George, Inspr	29.01.1990	1st	01.10.2025	Level 8
21	Shaheem K.P, Inspr	22.01.1988	3rd	08.04.2025	Level 8
22	Jacob Varghese, Inspr	20.11.1980	3rd	01.04.2025	Level 8
23	Anitha Joseph, Inspr	16.01.1974	3rd	01.04.2025	Level 8
24	Chandan Kumar, Inspr	30.06.1986	3rd	01.04.2025	Level 8
25	Jayakumar V.S, H. Havaldar	26.08.1966	3rd	27.12.2025	Level 4
26	Ninan K.A, H. Havaldar	20.04.1970	3rd	06.11.2025	Level 4
27	Elizabeth Sheeba M.P, H. Havaldar	09.01.1969	3rd	26.12.2025	Level 4
28	R. Anil Kumar, H. Havaldar	17.05.1975	3rd	01.11.2025	Level 4
29	K. Balu, H. Havaldar	12.05.1970	3rd	26.05.2025	Level 4
30	Kunjumon K, H. Havaldar	08.03.1970	3rd	30.01.2026	Level 4
31	Sasi P.M, H. Havaldar	30.05.1968	3rd	10.08.2024	Level 4
32	Rajani P, H. Havaldar	26.05.1968	2nd	30.10.2023	Level 3

2. Financial upgradation granted to the officer is inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiary i.e., the financial benefits are granted with the retention of the officer's old designation and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to

higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbent (officer) and shall not amount to actual functional promotions of the officer concerned. Further, it shall have no relevance to the officer's interseniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officer on the ground that the junior officer has got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of "Senior- Junior" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On the officers' financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. DOP&T vide its letter D.No.62460/US(D)/2010 dated 21.07.2010 has clarified that the benefit of Non-functional Grade granted to the Superintendent (Group 'B') officers after completion of 4 (four) years would be treated/viewed as up-gradation in terms of Para 8.1 of Annexure-I of DOP&T's O.M. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and the same would be off set against one financial up-gradation under MACPS.

4. *In respect of the officer at Sl. No.1, the officer was previously granted 1st MACP w.e.f. 06.08.2011 vide order no. 207/2012 dated 15.11.2012 and 2nd MACP w.e.f. 06.08.2021 vide order no. 46/2021 dated 01.07.2021. The date for the same is being reviewed and the officer is given 1st MACP in Level 7 and 2nd MACP in Level 8 from the date mentioned against her name in this order.

5. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

6. Hindi version follows.

Digitally signed by
Jomy Jacob
Date: 04-11-2025
18:43:25

[Jomy Jacob]
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individual (through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise,Kochi/Kozhikode/Thiruvananthapuram/Audit/Appeals.

3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1. The Addl/Joint Commissioner (P&V),Thiruvananthapuram Customs (Preventive), Cochin (who is requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).

2. The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi

3. The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/AO(DDO) Hqrs Kochi.

4. Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.

5. Hindi Cell of Kochi Commmissionerate.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT **Date: As e-signed**

ORDER No. 261/2025

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted on regular basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl.No.	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth	Remarks
1.	Subha S.Kumar	27.02.1971	on regular basis
2.	Jayashree Shaji	26.02.1971	on regular basis
3.	Sudha.R.S	20.05.1972	on regular basis
4.	Rajan.P	20.05.1967	on regular basis
5.	Jyothi Sukumaran	31.03.1969	on regular basis
6.	Jaimole K.M.	19.05.1966	on regular basis
7.	Jayakumar S	19.05.1977	on regular basis
8.	Jacob George	29.01.1990	on regular basis
9.	Sukumaran M.	25.05.1974	on regular basis
10.	Porush Royal	22.01.1988	on regular basis
11.	Prajith K P	19.07.1987	on regular basis
12.	Ajith Kumar C.S.	10.03.1971	on regular basis

Rcd 7/1/2025 done

13.	Nishant Thakur	06.08.1987	in officiating capacity
14.	Shilpa Goyal	07.03.1989	in officiating capacity
15.	Samin Kumar	04.02.1992	in officiating capacity
16.	Akhil Raj D	27.06.1990	in officiating capacity
17.	Visakh S **(SC)**	29.08.1990	on regular basis
18.	G Deepchand**(SC)**	14.04.1992	on regular basis
19.	Mohit **(SC)**	04.10.1987	on regular basis
20.	Vemu Naveen Nischal **(SC)**	21.08.1989	on regular basis
21.	Biswajit Das **(SC)**	06.02.1992	on regular basis
22.	Ashok Kumar Meena **(ST)**	01.01.1989	on regular basis
23.	Piyush Chauhan **(ST)**	29.08.1992	on regular basis
24.	Hari Singh Meena **(ST)**	04.08.1997	on regular basis
25.	Narendra Singh Meena **(ST)**	04.04.1993	on regular basis
26.	Sajith Mohan **(HH)**	20.06.1993	on regular basis
27.	Jiten Mali **(SC)**	10.09.1991	on regular basis
28.	Aswanth Raj **(SC)**	19.10.1993	on regular basis
29.	Sanjay **(SC)**	20.02.1998	on regular basis
30.	Dinesh Kumar Meena **(ST)**	01.03.1995	on regular basis
31.	Dinesh Kumar Meena (No.II) **(ST)**	05.05.1996	on regular basis

2. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 & 344/2024 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

3. The officers at Sl Nos. 13 to 16 are promoted to the grade of Superintendent in an officiating capacity until their juniors are promoted to the grade of Superintendent, after which that newly promoted officers will be considered to be in officiating capacity. A total of four officers of unreserved category who are junior most in seniority will be in officiating basis at all times until further orders.

4. The officers mentioned above (except Sl No. 8 & 10) can assume the charge immediately and not later than 17.11.2025.

5. As the Officer at Sl. Nos. 8 is on deputation to MEA outside the country, the officer shall assume the charge of Superintendent only after re-joining the parent Zone, and not later than 17.11.2025. If not, it shall be treated as a refusal of promotion.

6. As the Officer at Sl. No 10 is posted on deputation basis outside Thiruvanathapuram Zone, the officer may accept the promotion not later than 17.11.2025. If accepted, the officer shall join the parent zone by discontinuing the deputation or alternatively request for proforma promotion on or before 17.11.2025.

7. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by 19.11.2025.

8. This is issued with the approval of the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

9. Hindi version follows.

Digitally signed by
Jomy Jacob
Date: 07-11-2025
17:23:01

[Jomy Jacob]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /Audit/ Appeals.**
3. **The Commissioner of Customs Preventive Commissionerate, Cochin.**
4. **The Under Secretary to the Govt. of India, CBIC, Ministry of Finance.**
5. **The Assistant Director, Directorate of Enforcement (Hqrs), New Delhi**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram/Customs Preventive/ Audit/ Appeals.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram/Customs Preventive/ Audit/ Appeals.**

4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT **Date: As e-signed**

ORDER NO: 262/2025

Sub:- Grant of Non-functional upgradation to Superintendents of Central Tax and Central Excise –Reg.

In pursuance to Order in OA No 180/862/2018 dated 26.02.2019 of the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench and CBIC letter F.No. A-23011/11/2019-Ad.IIA dated 23.05.2019 and in pursuance to Order in MA No. 180/00538/2022 (in OA No 180/862/2018) dated 08.09.2023 of the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench and CBIC letter F.No. A23011/44/2020-Ad.IIA-Part(2) dated 29.02.2024 and Circular dated 11.04.2024 issued by Additional Commissioner (P&V), Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, Thiruvananthapuram Zone in file no. GEXCOM/II/(39)/42/2020- Estt, the following Superintendents are granted non - functional up gradation to the GP of Rs.5400/-(Level 9 of the pay matrix) on completion of 4 years from the date of grant of MACP in GP of Rs.4800/-.

Sl. No.	Name (Shri./Smt.)	Date of joining as Superintendent	Date of granting MACP	1st/2nd/3rd MACP	Date from which NFU is granted
1	LIJIN J KAMAL	01.02.2023	12.04.2021	3rd	12.04.2025
2	SANTHOSH T S	22.06.2023	12.04.2021	3rd	12.04.2025
3	MALLAJEET SONOWAL	01.01.2025	15.12.2021	1st	15.12.2025
4	JINCY M.P.	22.10.2021	27.01.2021	1st	27.01.2025
5	SHANIMA A.R.	27.01.2023	28.10.2021	1st	28.10.2025

Rcd 14/11/2025 dowe

File No. GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 442309)
Generated from eOffice by PRATYUSH SINGH, PRATYUSH SINGH-TA(PS)-Estt-CGST-COK-Establishment, TAX ASSISTANT, CGST-Commissionerate-Kochi on 14/11/2025 02:21 PM

2. The officers will have to exercise option for pay fixation in terms of DOP&T OM dated 26.09.1981, 09.11.1987 and 28.11.2019 as amended from time to time within one month from the issue of this order in the prescribed format.

3. Vigilance clearance as on date may be obtained at the time of their pay fixation in respect of officers who have been granted NFU on future dates.

4. This is issued with the approval of the Commissioner, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.

Digitally signed by
Jomy Jacob
Date: 14-11-2025
11:29:22

[Jomy Jacob]
Additional Commissioner (P&V)

To

The Individuals (through controlling officer concerned)

Copy to:

1. **The Pay & Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
2. **The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
3. **The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division.**

File No. GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 442309)
Generated from eOffice by PRATYUSH SINGH, PRATYUSH SINGH-TA(PS)-Estt-CGST-COK-Establishment, TAX ASSISTANT, CGST-Commissionerate-Kochi on 14/11/2025 02:21 PM

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 263/2025

Sub: Postings in the grades of Stenographer Grade-I/Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg

The following postings in the grades of Stenographer Grade-I/Grade-II are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Kum.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Kunal, Steno Gr-I	30.09.2002	On Joining	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
2.	Geethanjali B.V., Steno Gr-II	17.04.1998	On Joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
3.	Nidhi Kumari, Steno Gr-II	09.07.2003	On Joining	NACIN, Cochin (loan basis from CCO-CCA)
4.	Gaurav, Steno Gr-II	26.07.1996	On Joining	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi [attached to Commissioner, Customs (Appeals)]
5.	Navin Dhruv Diwakar, Steno Gr-II	19.02.2005	On Joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
6.	Abhay Pandey, Steno Gr-II	10.08.2001	On Joining	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
7.	Kunal, Steno Gr-II	01.07.2000	On Joining	CCO-CCA

Rcd 14-11-2025 dowl

8.	Rohit Batham, Steno Gr-II	07.06.2006	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 14-11-2025
16:02:02

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Audit/Appeals/Kozhikode/Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Customs (Appeals), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/41/2023-Estt **Date: *As E-Signed***

ORDER NO. 264/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/103645)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 17.11.2025, **Shri. Sabu C. (OBC category)**, who was previously engaged as a Part-Time Casual Labourer, has been regularised and he is hereby appointed to the post of Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **19.11.2025 (F.N).**

2. **Shri. Sabu C.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such

Rcd 25-11-2025 dow

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 25-11-2025
12:13:15

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Sabu C.
S/o Late Shri. Bhaskaran,
Chengazhathu Parambil,
Kollad P.O., Kottayam,
Kerala-686004.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2025-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 265/2025
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/103441)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2024 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.10.2025, **Shri. Ritik Kumar,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **SC category** vide letter A-12025/3/2024-Ad-IIIB Section-CBEC dated 09.09.2025, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **21.11.2025 (F.N).**

2. **Shri. Ritik Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Rcd 24-11-2025 dowl

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 24-11-2025
12:48:50

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Ritik Kumar
S/o Dharmveer Singh,
Vill-Jai Singh Jot,
Post-Rehar, Tehsil-Dhampur,
Dist-Bijnor,
Uttar Pradesh - 246722.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 266/2025

Sub: Posting in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg

The following posting in the grade of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Ritik Kumar	16.04.2002	On Joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 25-11-2025
14:19:24

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

The individual.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Rcd 25-11-2025 done

2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt **Date: As E-signed**

ORDER NO. 267/2025

Sub: Posting in the grade of Havaldar – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following posting in the grade of Havaldar is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1	Sabu C.	21.04.1969	On Joining	Headquarters, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. The officer should join new place of posting immediately.

3. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

4. The controlling officer is to report compliance by 05.12.2025.

5. Hindi version follows.

Digitally signed by Maya Kurian
Date: 03-12-2025 13:02:14

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Rcd 3-12-2025 dowl

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy/Assistant Commissioners in Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems/ Vig./ Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 268/2025

Sub: Posting in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg

The following posting in the grade of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Ritik Kumar	16.04.2002	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Commissioner's Unit, Hqrs Kochi with additional charge in JC (Audit/Legal)'s Unit, Hqrs Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 01-12-2025
10:18:00

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual.

Rcd 01-12-2025 dong

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
2. **The Joint Commissioner (Audit/Legal), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/5/2021-ESTT **Date: As e-signed**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 269/2025
Sub: Confirmation in the grade of Inspector – Reg.

In accordance with the instructions in O.M No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India the following officers of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in the grade of Inspector with effect from the date shown against their names.

Sl. No.	Name (S/ Shri./ Smt)	Date of Birth	Date of confirmation
1.	Vishnu M Pillai	24-01-1994	20-01-2025 F.N
2.	Anjana K	22-01-1998	25-01-2025 F.N
3.	Akshay K	22-12-1995	02-02-2025 F.N
4.	Abhay P S	04-08-1997	08-02-2025 F.N
5.	Sreehari K	20-06-1997	20-01-2025 F.N
6.	Hima K	09-02-1994	01-02-2025 F.N
7.	Noel E V	11-03-1999	06-02-2025 F.N
8.	Mohyiddin K	12-02-1991	14-02-2025 F.N
9.	Rahith A	30-05-1996	20-01-2025 F.N
10.	Aravind S	28-04-1995	27-01-2025 F.N
11.	Mani Singh Rathore	11-08-1994	20-03-2025 F.N
12.	Aneesh G S	20-05-1992	06-02-2025 F.N
13.	Sreerag S A	15-11-1996	20-01-2025 F.N

Rcd 8-12-2025 Jom

14.	Rahul Kumar (No. I)	09-06-1995	27-03-2025 F.N
15.	Ram Mohan Meena	11-01-1999	10-02-2025 F.N
16.	Jince Pius	16-01-1997	13-06-2025 F.N
17.	Rejith S	29-10-1994	30-06-2025 F.N
18.	Aravind Sudev S	25-03-1993	25.07.2025 F.N
19.	Aiswarya P	03-03-1999	20-06-2025 F.N
20.	P K Aswani Padmanabhan	26-07-1995	04-07-2025 F.N
21.	Jithin P	12-05-1999	28-06-2025 F.N
22.	Anantha Krishnan G A	31-12-1994	23-06-2025 F.N
23.	Sandeep S	11-07-1998	13-06-2025 F.N
24.	Abhishek Chourasiya	20-11-1997	30-06-2025 F.N
25.	Himanshu Singh	29-04-1998	13-06-2025 F.N
26.	Danish Khan	19-07-1996	20-06-2025 F.N
27.	Akash Shrivastav	30-07-1994	30-06-2025 F.N
28.	Vinod Meena	22-08-1997	16-06-2025 F.N

2. Necessary entries may be made in the Service Book of the individuals.

3. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

4. Hindi version follows.

Digitally signed by Venkadesh Babu
Date: 08-12-2025 16:25:36

[Dr. A.Venkadesh Babu]
Joint Commissioner [P&V]

To

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Appeals/ Audit (Kochi).**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin**

Copy to:

1. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of All Divisions, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram/Customs Preventive/ Audit/ Appeals.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram/Customs Preventive/ Audit/ Appeals**
5. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT. **Date: As e-signed**

ORDER No. 270/2025

Sub: Transfer & Postings in the cadres of Superintendent & Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadres of Superintendent & Inspector of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name & Designation of the Officer (Shri.)	Date of Birth	From	To
1.	Radhesh S, Superintendent	24.08.1967	On joining after deputation	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
2	Nishant Saxena, Superintendent	28.08.1990	On joining after deputation and availing proforma promotion	Central Tax & Central Excise Audit Commissionerate, Kochi
3.	Robin Goyal, Inspector	20.06.1985	On repatriation after cancellation of IZT	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **12.12.2025.** Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

Rcd 9-12-2025 Done

3. It should be ensured that the IPR/Intimation files of the officers transferred to new commissionerates should be updated and forwarded to the respective commissionerates.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

6. The controlling officers are to report compliance by **15.12.2025.**

Digitally signed by
Venkadesh Babu
Date: 09-12-2025
11:42:44

[Dr. A Venkadesh Babu]
Joint Commissioner (P&V)

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Audit Commissionerate**
3. **The Commissioner of Customs Preventive, Cochin.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Audit/Custom Preventive, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ / Audit/Custom Preventive.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT **Date: As e-signed**

ORDER No. 271/2025

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone – Reg.

Shri. Praduman Singh (D.O.B – 25.09.1998), Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on regular basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

2. The officer's seniority in the cadre of Superintendent is assigned immediately below Shri. Aswanth Raj and above Shri. Sanjay.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 & 344/2024 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

4. The officer can assume the charge immediately and not later than 19.12.2025.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 22.12.2025.

Rcd 9-12-2025 done

6. This is issued with the approval of the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Venkadesh Babu
Date: 09-12-2025
11:38:27

[Dr. A Venkadesh Babu]
Joint Commissioner [P&V]

To

1. The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Customs Preventive Commissionerate, Cochin.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Kochi/Customs Preventive.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Customs Preventive.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT **Date: As e-signed**

ORDER No. 272/2025

Sub: Proforma Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise, who is presently working on deputation has been granted Proforma Promotion to the grade of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from 07.11.2025 i.e., date of promotion of his immediate junior.

Sl. No.	Name(Shri)	Present Place of Posting	Time limit within which the officer should re-join the parent cadre
1.	Porush Royal	Enforcement Directorate, Hqrs, New Delhi	17.12.2027

2. The above mentioned officer working on deputation may continue to work at the lower post in the borrowing organisation with their seniority and pay in Superintendent cadre protected in parent cadre.

3. The effective date of promotion for the purpose of seniority shall remain the date of order of promotion (i.e. 07.11.2025).

4. This order is issued with the approval of the Principal Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Digitally signed by Farah Zachariah
Date: 23-12-2025 15:38:37

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

Rcd 23-12-2025 dowl

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Director, Directorate of Enforcement, Room No. 111, 'A' Block, Pravartan Bhawan, Dr. A.P.J Abdul Kalam Road, New Delhi - 110011**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

F.No:II/(3)/APPT/25/2020-ESTT **Date: As e-signed**

ORDER No. 273/2025

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone – Reg.

Shri. Parmod (D.O.B – 20.11.1986), Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on regular basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

2. The officer's seniority in the cadre of Superintendent is assigned immediately below Shri. Akhil Raj D and above Shri. Visakh S.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 & 344/2024 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

4. The officer is promoted to the grade of Superintendent in an officiating capacity until his juniors are promoted to the grade of Superintendent, after which that newly promoted officer will be considered to be in officiating capacity. A total of

Rad 23-12-2025 done

four officers of unreserved category who are junior most in seniority will be in officiating basis at all times until further orders.

5. The officer can assume the charge immediately and not later than 26.12.2025.

6. The compliance report about joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 29.12.2025.

7. This is issued with the approval of the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

8. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 23-12-2025
06:40:30

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

1. The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Kochi/Kozhikode Commissionerate.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Kozhikode Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(33)/1/2022-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 274/2025

Sub: Re-joining of Smt. Shikha Malhotra, Stenographer Grade-II in parent cadre on the basis of lien – Reg

Smt. Shikha Malhotra, Stenographer Grade-II, who is holding lien in Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone, reported for duty in this office on 15.12.2025 (F.N.) pursuant to her request for re-joining in her parent cadre and her relief from the Office of the Principal District & Sessions Judge (HQs), Tis Hazari Courts, Delhi vide Order No. 63260–63280/Estt.-1/PF/2025 dated 10.12.2025.

2. The Competent Authority has accepted her request dated 15.12.2025 for re-joining in this department as Stenographer Grade-II with effect from 15.12.2025 (F.N.). The period of service rendered in the Office of the Principal District & Sessions Judge (HQs), Tis Hazari Courts, Delhi shall be regulated in terms of DoP&T's OM No. 28020/1/2010-Estt.(C) dated 17.08.2016.

3. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

4. Hindi version follows.

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 22-12-2025
16:48:05

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

Rcd 22-12-2025 done

To

The individual.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Principal District & Sessions Judge (HQs), Tis Hazari Courts, Delhi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/5/2021-ESTT **Date: As e-signed**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 275/2025

Sub: Confirmation in the grade of Inspector – Reg.

In accordance with the instructions in O.M No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India the following officer of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is confirmed in the grade of Inspector with effect from the date shown against his name.

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	Date of confirmation
1.	Rahul Kumar (No. II)	15-11-1999	13-06-2025 F.N.

2. Necessary entry may be made in the Service Book of the individual.

3. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

4. Hindi version follows.

Digitally signed by Farah Zachariah
Date: 24-12-2025 09:53:59

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

Rcd 24-12-2025 done

To

The Individual (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Kochi/Customs Preventive.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Customs Preventive.**
4. **The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 276/2025

Sub: Promotion to the cadre of Tax Assistant – Reg.

The following Head Havaldar is hereby promoted to the cadre of Tax Assistant in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	Present place of posting
1.	Sreeraj P.	20.03.1968	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The officer should join the promoted post on or after **01.01.2026** and latest by **14.01.2026** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT's OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/Officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **20.01.2026**.

4. Hindi version follows.

Digitally signed by Farah Zachariah
Date: 31-12-2025 17:29:08

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

Rcd 31-12-2025

To done

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt ***Date: As E-signed***

ORDER NO. 277/2025

Sub: Posting in the cadre of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg

The following posting in the cadre of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Smt.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Shikha Malhotra	25.11.1991	On re-joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Digitally signed by Farah Zachariah
Date: 05-01-2026 17:43:50

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

The individual.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Rcd 05-01-2026 dom

2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/I/(18)/1/2020 ADMN. **Dated: 17.11.2026**

Sub: List of Closed Holidays and Restricted Holidays to be observed by Central Government Officers in Kerala during the year -2026-reg.

****

Please find enclosed Letter No.Welfare/A&E/CGEWCC/2025 dated 06.11.2025 from The Secretary-cum-Treasurer, CGEWCC, Thiruvananthapuram forwarding the list of closed Holidays and Restricted Holidays to be observed in Central Government Officers in Kerala during the year 2026.

Yours faithfully,

Encl: As above

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 07-11-2025
15:46:27

(**Maya Kurian**)
Deputy Commissioner (P&V)

To:

1 The Administrative Officer, Ernakulam Division/ Kakkanad Division/ Perumbavoor Division/ Idukki Division/ Aluva Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy Division.
2. All Section Head of Central Tax and Central Excise Hqrs.,Kochi./EDP Cell

Rcd 7-11-2025 down

ANNEXURE-I

CLOSED HOLIDAYS-2026

Sl. No	Occasion	Date in Christian Era	Date in Saka Era	Day of the week
1	Republic Day	January 26	Magha 06	Monday
2	*Idu'l Fitar (Ramzan)	March 20	Phalguna 29	Friday
3	Mahavir Jayanti	March 31	Chaitra 10	Tuesday
4	Good Friday	April 03	Chaitra 13	Friday
5	## Vaisakhadi/ Bhag Bihu	April 15	Chaitra 25	Wednesday
6	Buddha Purnima	May 01	Vaisakha 11	Friday
7	*Idu'l Zuha (Bakrid)	May 27	Jyaishtha 06	Wednesday
8	*Muharram	June 25	Ashadha 04	Thursday
9	Independence Day	August 15	Sravana 24	Saturday
10	*Milad-Un-Nabi or Id-E-Milad (Birthday of Prophet Mohammed)	August 25	Bhadra 03	Tuesday
11	## Onam	August 26	Bhadra 04	Wednesday
12	Mahatma Gandhi's Birthday	October 02	Asvina 10	Friday
13	## Dussehra (Mahashtami)	October 19	Asvina 27	Monday
14	Dussehra (Vijaya Dasami)	October 20	Asvina 28	Tuesday
15	Diwali (Deepavali)	November 08	Kartika 17	Sunday
16	Guru Nanak's Birthday	November 24	Agrahayana 03	Tuesday
17	Christmas Day	December 25	Pausha 04	Friday

##Selected from the list of optional holidays, other than 14 compulsory holidays.
*Subject to change depending on sighting of the moon.

The date for the four holidays of Idu'l Fitr (Ramzan) on March 20, Idu'l Zuha (Bakrid) on May 27, Muharam on June 25 and Milad-Un-Nabi or Id-E-Milad* [Birthday of Prophet Mohammed] on August 25 have been adopted from the State List. If the State Government changes any of these holidays, the changed date will be observed as a closed holiday for Central Government Offices in State. If the change of dates, of any of the above occasions, is notified, at very short notice, **announcement through TV/AIR/Newspaper can be taken as authority for such change.**

ANNEXURE-II

Restricted Holidays to be observed in Central Government Offices in Kerala during the Year 2026

Sl. No	Occasion	Date of Christian Era	Date of Saka Era	Day of the week
SAKA ERA 1947				
1	New Year's Day	January 01	Pausha 11	Thursday
2	Mannam Jayanthi	January 02	Pausha 12	Friday
3	Hazarat Ali's Birthday	January 03	Pausha 13	Saturday
4	Makara Sankaranti/ Pongal	January 14	Pausha 24	Wednesday
5	Basanta Panchami/ Sri Panchami	January 23	Magha 03	Friday
6	Guru Ravida's Birthday	February 01	Magha 12	Sunday
7	Birthday of Swami Dayananda Saraswati	February 12	Magha 23	Thursday
8	Maha Shivaratri	February 15	Magha 26	Sunday
9	Shivaji Jayanti	February 19	Magha 30	Thursday
10	Holika dahan/ Dolyatra	March 03	Phalguna 12	Tuesday
11	Holi/ Ayya Vaikunda Swami Jayanthi	March 04	Phalguna 13	Wednesday
12	Chaitra Sukhladi/Gudi Padava/ Ugadi/ Cheti Chand	March 19	Phalguna 28	Thursday
13	Jamal-ul-Vida	March 20	Phalguna 29	Friday
14	Ram Navami	March 26	Chaitra 05	Thursday
SAKA ERA 1948				
15	Maundy Thursday	April 02	Chaitra 12	Thursday
16	Easter Sunday	April 05	Chaitra 15	Sunday
17	Dr. B.R.Ambedkar Jayanthi/ Vaysakhi/ Vishu/ Meshadi (Tamil New Years's Day)	April 14	Chaitra 24	Tuesday
18	Mayday	May 01	Vaisakha 11	Friday
19	Birth day of Guru Rabindranath Tagore	May 09	Vaisakha 19	Saturday
20	Rath Yatra	July 16	Ashadha 25	Thursday
21	Karkkidaka vavu	August 12	Sravana 21	Wednesday
22	Parsi New Year's Day/ Nauraj	August 15	Sravana 24	Saturday
23	Third Onam	August 27	Bhadra 05	Thursday
24	Fourth Onam/ Rakshabandhan/ Avani Avittom/ Sree Narayana Guru Jayanthi/ Ayyankali Jayanthi	August 28	Bhadra 06	Friday
25	Janmashtami (Vaishnavi)/ Sree Krishna Jayanthi	September 04	Bhadra 13	Friday
26	Ganesh Chathurthi/ Vinayaka Chathurthi	September 14	Bhadra 23	Monday
27	Vishwakarma Day	September 17	Bhadra 26	Thursday
28	Sree Narayana Guru Samadhi	September 21	Bhadra 30	Monday
29	Dussehra (Saptami)	October 18	Asvina 26	Sunday
30	Dussehra (Vijaya Dashmi)	October 21	Asvina 29	Wednesday
31	Maharshi Valmiki's Birthday	October 26	Kartika 04	Monday
32	Karaka Chaturthi (Karwa Chouth)	October 29	Kartika 07	Thursday
33	Naraka Chaturdasi	November 08	Kartika 17	Sunday
34	Govardhan Puja	November 09	Kartika 18	Monday
35	Bhai Duj	November 11	Kartika 20	Wednesday
36	Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja)	November 15	Kartika 24	Sunday
37	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	November 24	Agrahayana 03	Tuesday
38	Hazarat Ali's Birthday	December 23	Pausha 02	Wednesday
39	Christmas Eve	December 24	Pausha 03	Thursday

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/1/2020-ESTT **Date: As e-signed**

ESTABLISHMENT CIRCULAR

Attention is invited to the following letter.

Sl. No.	File No. and Date	Subject
1.	SF No.52/2025-2026 dated 10.11.2025 of the O/o the Competent Authority [SAFEM (FOP)A & NDPSA]	Willingness for the post of Superintendent (CBIC) & Inspectors (CBIC) in the O/o **The Competent Authority & Administrator, SAFEM(FOP)A & NDPSA, Chennai** on Loan basis.

Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate – www.cenexcisekochi.gov.in for information.

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 12-12-2025
17:21:05

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Joint Commissioner (P&V), Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Rcd 12-12-2025

Copy to:

1. **The Assistant/Deputy Commissioners of all Divisions under Kochi Commissionerate.**
2. **All Section Heads in Headquarters Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems) for uploading in the website.**
4. **Notice Board, Hqrs. Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2022-Estt ***Date: As E-signed***

OFFICE ORDER

Sub: Temporary work allocation among Additional/Joint Commissioners - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

Please refer to Order No. 244/2025 dated 07.10.2025 regarding work allocation among Additional/Joint Commissioners of Kochi Commissionerate.

2. The charges held by Dr. Farah Zachariah, Joint Commissioner, who has been relieved from this office on 24.10.2025 to attend Phase III of the Mid-Career Training Programme for IRS officers at NACIN Palasamudram from 27.10.2025, is temporarily allocated to Shri Jomy Jacob, Additional Commissioner (CCO), till the officer re-joins duty in this office after completion of the training.

3. In the absence/leave of Shri Jomy Jacob, Additional Commissioner, Dr. A. Venkadesh Babu, Joint Commissioner, will hold the charges held by Dr. Farah Zachariah, Joint Commissioner.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Digitally signed by
K. Kalimuthu
Date: 31-10-2025
10:43:14

[K. Kalimuthu]
Commissioner

To

The individuals

Rcd 31-10-2025 done

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**